सत्यमेव जयते

लेखे एक दृष्टि में

2016-17

छत्तीसगढ़ शासन

लेखे एक दृष्टि में

2016-17

छत्तीसगढ़ शासन

विषय सूची

		पृष्ठ संख्या
	प्राक्कथन	(iii)
	हमारी दृष्टि, लक्ष्य एवं आंतरिक मूल्य	(v)
अध्याय–I	विहंगावलोकन	
1.1	परिचय	1
1.2	लेखे की संरचना	1
1.3	वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे	3
1.4	असमायोजित संक्षिप्त आकस्मिक (ए.सी.) देयक	5
1.5	व्यक्तिगत जमा लेखे में राशियों का अंतरण	5
1.6	निधियों के स्त्रोत एवं अनुप्रयोग	6
1.7	लेखे की प्रमुखताएं	7
1.8	घाटा एवं आधिक्य क्या संकेत करते हैं	8
अध्याय– II	प्राप्तियां	
2.1	परिचय	10
2.2	राजस्व प्राप्तियां	10
2.3	वर्ष 2016–17 तक विगत पांच वर्षों मे प्राप्तियों का रूझान	11
2.4	वर्ष 2016–17 तक विगत पांच वर्षों मे राज्य के स्वंय के कर राजस्व संग्रहण का प्रदर्शन	13
2.5	वर्ष 2016–17 तक विगत पांच वर्षों मे कर संग्रहण की दक्षता	13
2.6	वर्ष 2016–17 तक विगत पांच वर्षों मे संघ करों के राज्यांश का रूझान	14
2.7	सहायता अनुदान	14
2.8	लोक ऋण	15
2.9	ऋण सेवा अनुपात	15
2.10	वर्ष 2016–17 तक विगत पांच वर्षों मे निवल लोक ऋण का रूझान	15
अध्याय– III	व्यय	
3.1	परिचय	16
3.2	वर्ष 2016–17 तक विगत पांच वर्षों मे राजस्व व्यय की तुलना में बजट	16
3.3	पूंजीगत व्यय	17
3.4	विकास व्यय	18
अध्याय– IV	आयोजना एवं आयोजनेतर व्यय	
4.1	व्यय का वितरण (2016–17)	19
4.2	वर्ष 2016–17 तक विगत पांच वर्षों मे आयोजना व्यय का विश्लेषण	19
4.3	वर्ष 2016–17 तक विगत पांच वर्षों मे आयोजनेतर व्यय	20
4.4	वर्ष 2016–17 तक विगत पांच वर्षों मे वेतन, पेंशन तथा ब्याज पर व्यय	20
4.5	व्यय का अतिरेक	21

पृष्ठ संख्या

अध्याय– V	विनियोग लेखे	
5.1	विनियोग लेखे का सार (2016–17)	23
5.2	वर्ष 2016–17 तक विगत पांच वर्षों मे बचत/आधिक्य का रूझान	23
5.3	महत्वपूर्ण बचतें	24
5.4	अनुपूरक अनुदान/विनियोग जो अनावश्यक सिद्ध हुए	24
अध्याय– VI	**परिसम्पत्तियां तथा देयताएं**	
6.1	परिसम्पत्तियां	27
6.2	ऋण एवं देयताएं	27
6.3	प्रत्याभूतियां	28
अध्याय– VII	**अन्य मदें**	
7.1	राज्य सरकार द्वारा वितरित/दिये गए ऋण एवं अग्रिम	29
7.2	स्थानीय निकायों एवं अन्य को वित्तीय सहायता	29
7.3	रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों का निवेश	29
7.4	लेखों का पुनर्मिलान	30
7.5	कोषालयों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतिकरण	30
7.6	अपूर्ण निर्माण कार्यों पर प्रतिबद्धता	30
7.7	उचंत अवशेष की स्थिति	30
7.8	राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत सहायता अनुदानों के विरूद्ध लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों	31
7.9	विभिन्न कार्यान्वित अभिकरणों को राशि का स्थानान्तरण	31
7.10	वर्ष 2016–17 तक विगत पांच वर्षों मे सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.ड़ी.पी.)	32

प्राक्कथन

राज्य सरकार के वार्षिक लेखे राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखे जाने हेतु भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के निर्देशों के अधीन नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियां व सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किये जाते हैं। वार्षिक लेखाओं में वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे सम्मिलित है। वित्त लेखे समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखे के अन्तर्गत लेखे की विवरणियों का सार है। विनियोग लेखे के अंतर्गत राज्य विधान मण्डल द्वारा अनुमोदित बजट प्रावधानों के विरूद्ध किये गये अनुदानवार व्ययों को अंकित किये जाते हैं तथा प्रावधानिक निधियों एवं वास्तविक व्यय के मध्य के अन्तर का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हैं। महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) राज्य के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे तैयार करते हैं।

प्रकाशन ''लेखे एक दृष्टि में'' वार्षिक रूप से तैयार किए जाते हैं, जो सरकारी कार्यकलापों का विस्तृत विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है, जैसा कि वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे में प्रदर्शित किया गया है। सूचनाएं संक्षिप्त स्पष्टीकरणों, विवरणों एवं ग्राफों द्वारा दर्शायी गयी है।

आपकी टिप्पणियां एवं सुझाव, प्रकाशन को और उपयोगी बनाने में हमें सहयोग प्रदान करेंगे।

पी के दास

(पी. के. दास)
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
छत्तीसगढ़

स्थान : रायपुर
दिनांक : 28 मार्च 2018

हमारी दृष्टि, लक्ष्य एवं आन्तरिक मूल्य

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक संस्था का दृष्टिकोण हमारी भावी महत्वाकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है।

हम वैश्विक नेतृत्व के लिये प्रयासरत हैं तथा सार्वजनिक क्षेत्र के लेखांकन एवं लेखापरीक्षा की राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सर्वोत्तम कार्यपद्धति के पहलकारों में रहे हैं और शासन तथा लोक वित्त की स्वतंत्र, विश्वसनीय, सन्तुलित एवं सामयिक सूचना देने के लिये पहचाने जाते हैं।

हमारा लक्ष्य हमारी वर्तमान भूमिका को प्रतिपादित एवं हम आज जो कर रहे हैं, उसे उल्लिखित करता है।

भारत के संविधान से अधिदिष्ट, हम उच्च गुणवत्तापूर्ण लेखांकन एवं लेखापरीक्षा के द्वारा उत्तरदायी, पारदर्शी एवं सुशासन को प्रोत्साहित करते हैं एवं अपने हितधारकों–विधायिका, कार्यपालिका एवं आमजन को स्वतंत्रापूर्वक आश्वासन देते हैं कि, लोक निधियों का पूर्ण दक्षता एवं इच्छित उद्देश्यों हेतु उपयोग किया जा रहा है।

हम जो भी करते हैं, उसके लिये हमारी बुनियादी मूल्य मार्गदर्शक दीपस्तम्भ की तरह है जो हमारे कार्य निष्पादन के मूल्यांकन के लिये मानक तय करते हैं :–

- स्वतंत्रता
- उद्देश्यपरकता
- सत्यनिष्ठा
- विश्वसनीयता
- व्यवसायिक उत्कृष्टता
- पारदर्शिता
- सकारात्मक पहल

अध्याय–I

विहंगावलोकन

1.1 परिचय–

छत्तीसगढ़ सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय के लेखाओं के संकलन का कार्य महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा किया जाता है। यह संकलन जिला कोषालयों(28), लोक निर्माण (150), वन (53) तथा ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मण्डलों आदि के द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक लेखाओं तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचनाओं पर आधारित होता है। लेखे संकलन के पश्चात महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रतिवर्ष वित्त एवं विनियोग लेखे तैयार करते है, जिन्हें महालेखाकार (लेखापरीक्षा) छ.ग. द्वारा लेखापरीक्षा एवं भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रमाणीकरण के पश्चात राज्य विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

1.2 लेखे की संरचना–

1.2.1 शासकीय लेखे निम्नलिखित तीन भागों में रखे जाते हैं–

भाग–I **समेकित निधि**	राजस्व एवं पूंजीगत लेखाओं की प्राप्तियाँ एवं व्यय, लोक ऋण तथा उधार एवं अग्रिम, अंन्तर्राज्यीय परिशोधन, आकस्मिकता निधि को विनियोग।
भाग–II **आकस्मिकता निधि**	बजट में उपबन्धित न किये गये अनवेक्षित व्यय की पूर्ति हेतु। इस निधि से हुए व्यय की प्रतिपूर्ति तदनन्तर समेकित निधि से की जाती है।
भाग–III **लोक लेखे**	इसमें ऋण, जमा, पेशगियाँ, प्रेषण तथा उचन्त से संबंधित लेन देन शामिल है। ऋण तथा जमा शासन के पुनर्भुगतान दायित्वों को निरूपित करते हैं। पेशगियां शासन की प्राप्ति योग्य राशियाँ हैं। प्रेषण एवं उचन्त लेन देन समायोजनीय प्रविष्टियाँ हैं जिन्हें अन्ततः लेखे के अंतिम शीर्ष में दर्ज कर शोधित किया जाता है।

1.2.2 लेखों का संकलन–

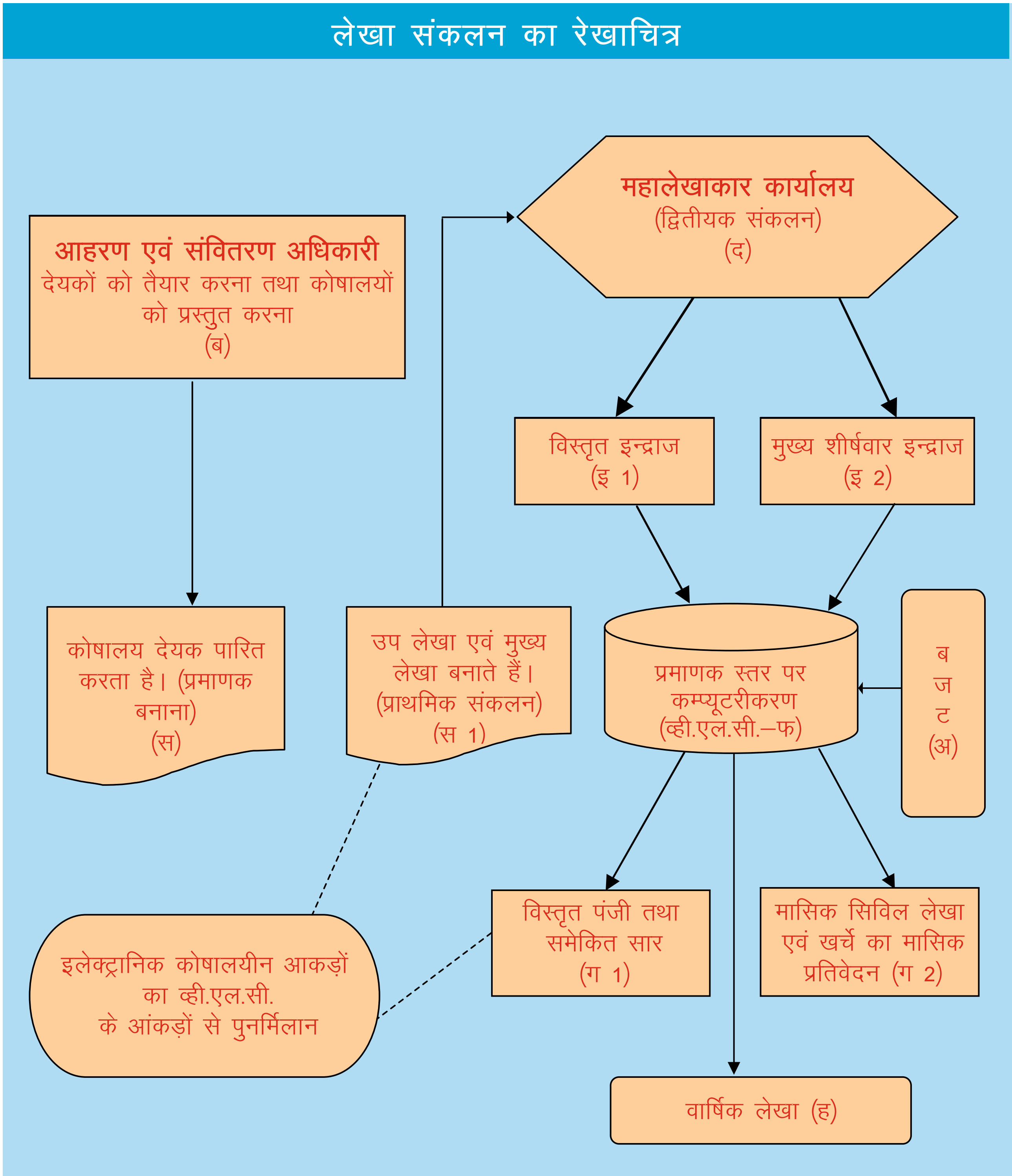

लेखा संकलन का रेखाचित्र
महालेखाकार कार्यालय
(द्वितीयक संकलन)
(द)
आहरण एवं संवितरण अधिकारी
देयकों को तैयार करना तथा कोषालयों को प्रस्तुत करना
(ब)
विस्तृत इन्द्राज
(इ 1)
मुख्य शीर्षवार इन्द्राज
(इ 2)
कोषालय देयक पारित करता है। (प्रमाणक बनाना)
(स)
उप लेखा एवं मुख्य लेखा बनाते हैं।
(प्राथमिक संकलन)
(स 1)
प्रमाणक स्तर पर कम्प्यूटरीकरण
(व्ही.एल.सी.–फ)
ब
ज
ट
(अ)
इलेक्ट्रानिक कोषालयीन आकड़ों का व्ही.एल.सी. के आंकड़ों से पुनर्मिलान
विस्तृत पंजी तथा समेकित सार
(ग 1)
मासिक सिविल लेखा एवं खर्चे का मासिक प्रतिवेदन (ग 2)
वार्षिक लेखा (ह)

1.3 वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे–

1.3.1 वित्त लेखे–

वित्त लेखे शासन की वर्ष की प्राप्तियों और संवितरणों के साथ ही राजस्व एवं पूंजीगत लेखाओं के वित्तीय परिणामों, लोक ऋण के लेखाओं एवं लोक लेखे में दर्ज शेषों के लेखाओं का चित्रण करते हैं। वित्त लेखाओं को अधिक विस्तृत एवं सूचनात्मक बनाने की दृष्टि से वर्ष 2009–10 से वित्त लेखे दो खण्डों में प्रकाशित किए जा रहे हैं। वित्त लेखे के खण्ड–I में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रमाण पत्र सहित संक्षिप्त विवरण पत्रक एवं लेखांकन नीतियों के महत्वपूर्ण सार को समाविष्ट करते हुए लेखाओं पर टिप्पणी, लेखाओं की गुणवत्ता एवं अन्य मदें तथा संक्षिप्त विवरण समाहित हैं। खण्ड–II में विस्तृत विवरण (भाग–I) तथा परिशिष्ट (भाग–II) शामिल है।

छत्तीसगढ़ राज्य के प्राप्तियां एवं संवितरण वर्ष 2016–17 के वित्त लेखे में निम्नानुसार दर्शाई गई है:–

सारणी–1 (₹ करोड़ में)

<table>
<tr><td rowspan="9">प्राप्तियां
(कुलः ₹ 57,968.26)</td><td rowspan="5">राजस्व
(कुल ₹ 53,685.25)</td><td colspan="3">कर राजस्व</td><td>37,754.37</td></tr>
<tr><td colspan="3">करेतर राजस्व</td><td>5,669.25</td></tr>
<tr><td rowspan="3">सहायता अनुदान</td><td>आयोजनेत्तर अनुदान</td><td>2,012.42</td><td rowspan="3">10,261.63</td></tr>
<tr><td>राज्य आयोजना अनुदान</td><td>7,785.03</td></tr>
<tr><td>केन्द्रीय आयोजना अनुदान</td><td>463.18</td></tr>
<tr><td rowspan="4">पूंजीगत
(कुल ₹ 4,283.01)</td><td colspan="3">पूंजीगत प्राप्तियां</td><td>2.37</td></tr>
<tr><td colspan="3">ऋण तथा अग्रिम की वसूलियां</td><td>172.99</td></tr>
<tr><td colspan="3">अन्तर्राज्यीय समाशोधन</td><td>0.38</td></tr>
<tr><td colspan="3">उधार और अन्य दायित्व(*)</td><td>4,107.27</td></tr>
<tr><td rowspan="5">संवितरण
(कुलः ₹ 57,968.26)</td><td colspan="4">राजस्व</td><td>48,164.60</td></tr>
<tr><td colspan="4">पूंजीगत</td><td>9,470.51</td></tr>
<tr><td colspan="4">उधार और अग्रिम</td><td>272.71</td></tr>
<tr><td colspan="4">अन्तर्राज्यीय समाशोधन</td><td>0.44</td></tr>
<tr><td colspan="4">आकस्मिकता निधि को विनियोग</td><td>60.00</td></tr>
</table>

(*) उधार और अन्य दायित्वः–निवल लोक ऋण+निवल आकस्मिकता निधि+निवल लोक लेखा+निवल रोकड़ शेष।

भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सहायता के रूप में राज्य आयोजना में ₹ 10,806.35 करोड़ स्थानांतरित किया गया हैं, जिसमें ₹ 8,670.60 करोड़ का राज्यों को सीधा आवंटन किया गया है, ₹ 1,112.05 करोड़ का प्रत्यक्ष भुगतान विभिन्न कियान्वयन अभिकरणों/अशासकीय संगठनों जिनके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है एवं ₹ 1,023.70 करोड़ का भुगतान राज्य में स्थित केन्द्रीय निकायों के साथ ही विभिन्न अन्य संगठनों जिनके लिए भी राज्य बजट में कोई व्यवस्था नहीं है। अतः ₹ 2,135.75 करोड़ (₹ 1,112.05 करोड़ + ₹ 1,023.70 करोड़) राज्य सरकार के लेखे में प्रतिबिम्बित नहीं किया गया है।

1.3.2. पाई चार्ट द्वारा प्राप्तियों तथा संवितरण का विश्लेषण–

प्राप्तियां

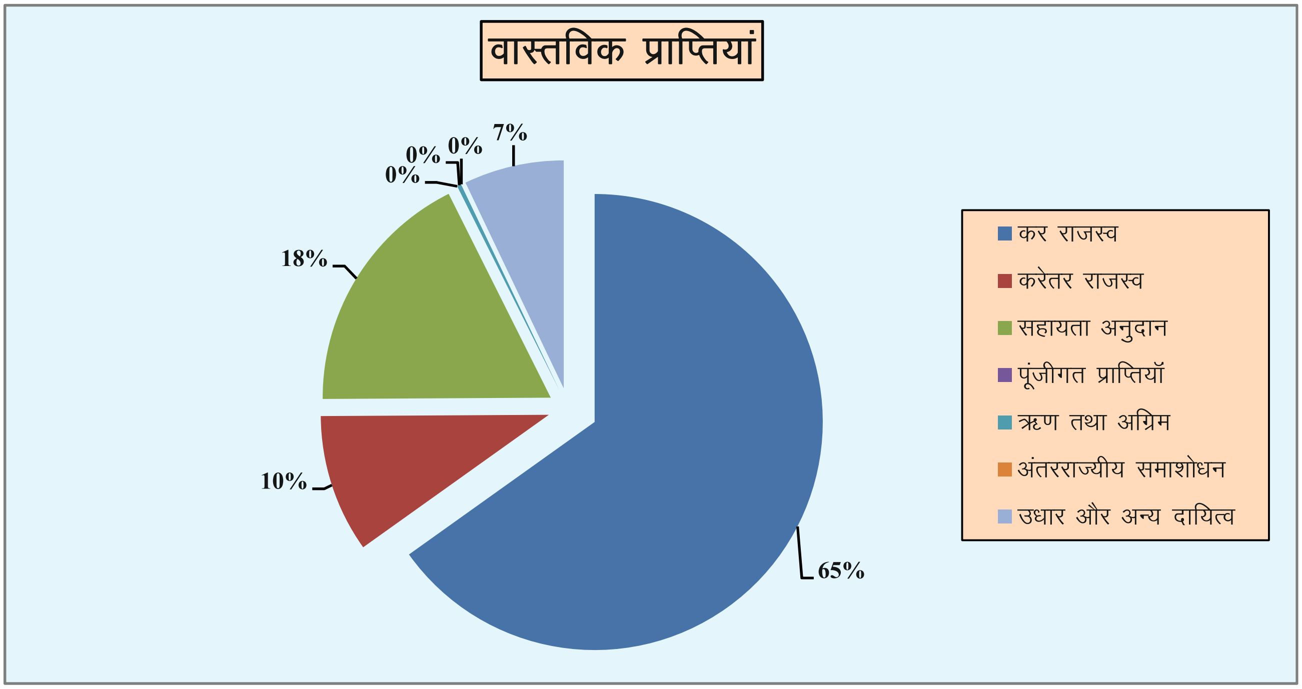

व्यय

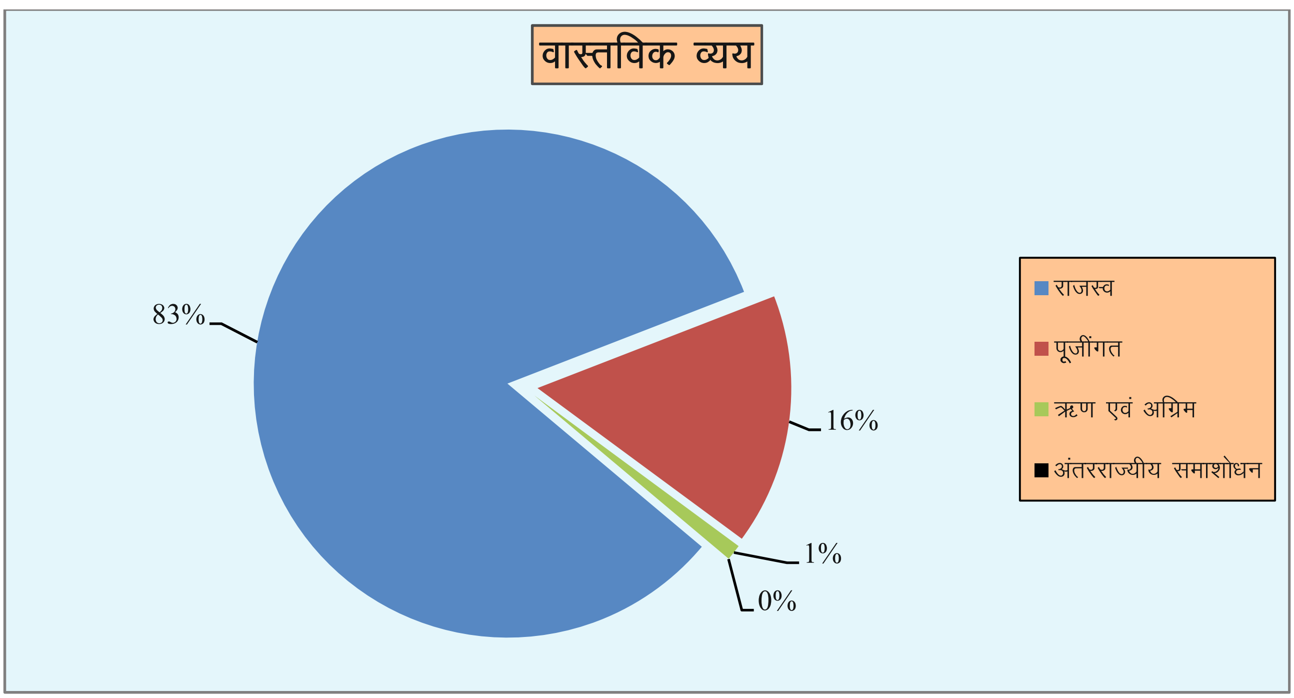

1.3.3. विनियोग लेखे–

विनियोग लेखे वित्त लेखे के पूरक है। वे राज्य विधान मंडल द्वारा पारित "दत्तमत" और संचित निधि पर *"प्रभारित"* राशियों के विरूद्ध राज्य सरकार के व्यय एवं बचत या आधिक्य को प्रदर्शित करते हैं। वर्ष 2016–17 में 45 *प्रभारित* विनियोग एवं 70 दत्तमत अनुदानों के लेखे सम्मिलित है।

विनियोग अधिनियम 2016–17 में ₹ 80,202 करोड़ के सकल व्यय एवं ₹ 1,991 करोड़ व्यय में कमी (वसूलियां) उपबंधित है। इसके विरूद्ध वास्तविक सकल व्यय ₹ 60,471 करोड़ एवं व्यय में कमी (वसूलियां) ₹ 1,350 करोड़ रही, परिणामतः ₹ 19,731 करोड़ की शुद्ध बचत (25 प्रतिशत) हुई एवं व्यय की कमी पर ₹ 641 करोड़ (32 प्रतिशत) का अधिक आकलन किया गया।

1.4 असमायोजित संक्षिप्त आकस्मिक (ए.सी.) देयक–

नियंत्रण अधिकारी तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारी संक्षिप्त आकस्मिक (ए.सी.) देयक प्रस्तुत कर, सेवा शीर्ष में नामे कर निधि आहरित करने हेतु प्राधिकृत हैं और इन्हें इस प्रकार के मामलों में विस्तृत आकस्मिक देयकों (अनंतिम व्यय के पक्ष में बाउचर) की आवश्यकता होती है। वर्ष 2016–17 में संक्षिप्त आकस्मिक (ए.सी.) देयकों के विरूद्ध आहरित ₹ 3,556.39 करोड में से ₹ 86.61 करोड (2.44 प्रतिशत) संक्षिप्त आकस्मिक देयकों मार्च 2017 में आहरित हुए जिसमें से ₹ 51.01 करोड़ (मार्च में आहरित निधि का 58.90 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन आहरित हुए थे। मार्च में संक्षिप्त आकस्मिक (ए.सी.) देयकों के विरूद्ध महत्वपूर्ण व्यय इंगित करता है कि आहरण प्राथमिक रूप से बजट प्रावधानों को समाप्त करने तथा अपर्याप्त बजट प्रबंधन की ओर इंगित करता है। 31 मार्च 2017 तक बकाया संक्षिप्त आकस्मिक देयकों का विवरण नीचे दर्शाया गया है।

लंम्बित विस्तृत आकस्मिक देयकों का विवरण

सारणी–2 (₹ करोड़ में)

वर्ष	लंम्बित विस्तृत आकस्मिक देयकों की संख्या	राशि
2015–16	03	0.90
2016–17	112	24.29
कुल	**115**	**25.19**

1.5 व्यक्तिगत जमा लेखे में राशियों का अंतरण–

राज्य कोषालय संहिता के पूरक नियम 543 के अनुसार राज्य शासन व्यक्तिगत जमा लेखों को आरम्भ करने के लिए अधिकृत है जिनमें समेकित निधि से राशि आहरित कर विशिष्ट उद्येश्य के लिए उपयोग की जाती है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व व्यक्तिगत जमा लेखे की अप्रयुक्त राशि को समेकित निधि में वापस स्थांतरित की जानी चाहिए। व्यक्तिगत जमा लेखे यदि आवश्यकता हो तो आगामी वर्ष में खोले जा सकते हैं। इसके विपरीत यह पाया गया है कि 289 व्यक्तिगत जमा लेखे जिनमें ₹ 1,892.47 करोड़ सम्मिलित हैं अभी भी बन्द नहीं हुए हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने मार्च 2017 के दौरान विभिन्न शीर्षों से ₹ 2.56 करोड़ आहरित किए और व्यक्तिगत जमा लेखे मे जमा किए। दिनांक 31.03.2017 तक की संक्षिप्त स्थिति नीचे दर्शायी गयी हैः–

निजी जमा खातों का विवरण

सारणी–3 (₹ करोड़ में)

प्रारंम्भिक राशि		वर्ष में वृद्धि / प्राप्तियां		वर्ष का अंतशेष / वितरण		बकाया	
संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
292	1,696.46	08	918.64*	11	722.63*	289	1,892.47

* वर्ष के दौरान प्राप्तियां एवं संवितरण सहित.

1.6 निधियों के स्त्रोत एवं अनुप्रयोग–

1.6.1 अर्थोपाय पेशगियां–

राज्य सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ ₹ 0.72 करोड दैनिक न्यूनतम नकद शेष की तरलता की स्थिति बनाएं रखना आवश्यक है। भारतीय रिर्जव बैंक के साथ किए गए करार के अनुसार न्यूनतम शेष राशि में कमी होने पर विशेष आहरण की सुविधा तत्पश्चात अर्थोपाय अग्रिम एवं अंत में न्यूनतम नकद शेष बनाए रखने के लिए अधिविकर्षण की सुविधा दी जाती है, वर्ष 2016–17 में राज्य शासन द्वारा ऐसी कोई भी सुविधा का लाभ नही लिया गया है।

1.6.2 निधियों के प्रवाह का विवरण–

निधियों के स्त्रोत एवं अनुप्रयोग पैरा 1.6.3 के नीचे सारणी–4 मे दर्शाया गया है। राज्य के पास ₹ 5,520.65 करोड़ का राजस्व आधिक्य एवं ₹ 4,047.27 करोड़ का राजकोषीय घाटा था, जो सकल राज्य घरेलु उत्पाद का क्रमशः 1.90 प्रतिशत एवं 1.39 प्रतिशत रहा। राज्य सरकार द्वारा वेतन में ₹ 11,076.73 करोड़, ब्याज भुगतान में ₹ 2,886.83 करोड़ तथा पेंशन में ₹ 3,486.27 करोड़ व्यय किए गए। जो राजस्व प्राप्तियों का 20.63 प्रतिशत, 5.38 प्रतिशत एवं 6.49 प्रतिशत क्रमशः है।

* वर्ष 2016–17 का सकल राज्य घरेलु उत्पाद ₹ 2,90,140.00 करोड था।

1.6.3 निधियों के स्त्रोत एवं अनुप्रयोग–

सारणी–4 (₹ करोड़ में)

विवरण		राशि
स्त्रोत	01.04.2016 को प्रारंभिक नगद शेष	(–)577.94
	राजस्व प्राप्तियां	53,685.25
	कर्ज तथा अग्रिमों की वसूलियां	172.99
	लोक ऋण	5,479.93
	अल्प बचतें भविष्य निधियां तथा अन्य	1,126.89
	आरक्षित एवं शोधन निधियां	1,617.38
	जमा प्राप्ति	3,579.44
	सिविल अग्रिम प्राप्ति	444.20
	उचन्त लेखे	1,05,088.32
	प्रेषण	9,224.16
	पूंजीगत प्राप्तियां	2.37
	अन्तर्राज्यीय समाशोधन	0.38
	योग	**1,79,843.37**
अनुप्रयोग	राजस्व व्यय	48,164.60
	पूंजीगत व्यय	9,470.51
	प्रदत्त ऋण एवं अग्रिम	272.71
	लोक ऋण का पुनर्भुगतान	1,152.63
	अल्प बचतें भविष्य निधियां तथा अन्य	699.93
	आरक्षित तथा शोधन निधियां	1,232.58
	जमा वापसी	3,028.78
	प्रदत्त सिविल अग्रिम	444.18
	उचंत लेखे एवं विविध	1,05,862.81
	प्रेषण	9,175.02
	अन्तर्राज्यीय समाशोधन	0.44
	31–03–2017 को रोकड़ अंतशेष	339.18
	योग	**1,79,843.37**

1.7 लेखे की प्रमुखताएं –

सारणी–5 (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मद	बजट अनुमान 2016–17	वास्तविक आंकड़े	वास्तविक आंकड़ों का प्रतिशत	
				बजट प्रावधान से	स.रा.घ.उ.[1] से
1	कर राजस्व[2]	40,614.26	37,754.37	92.95	13.01
2	करेतर राजस्व	7,420.15	5,669.25	76.40	1.95
3	सहायता अनुदान तथा अंशदान	13,392.26	10,261.63	76.62	3.54
4	**राजस्व प्राप्तियां (1+2+3)**	**61,426.67**	**53,685.25**	**87.40**	**18.50**
5	ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियां	520.72	172.99	33.22	0.06
6	उधार और अन्य दायित्व	8,024.24	4,107.27[3]	51.19	1.42
6अ	पूंजीगत प्राप्तियां	0.00	2.75	0.00	0.00
7	**पूंजीगत प्राप्तियां (5+6)**	**8,544.96**	**4,283.01**	**50.12**	**1.48**
8	**कुल प्राप्तियां (4+7)**	**69,971.63**	**57,968.26**	**82.85**	**19.98**
9	**आयोजनेतर व्यय (एन.पी.ई.)**	**28,002.46**	**23,950.41**	**85.53**	**8.25**
10	राजस्व लेखे का आयोजनेतर व्यय	27,933.53	23,911.70	85.60	**8.24**
11	सरल क्रमांक 10 के व्यय में से ब्याज अदायगी पर व्यय (एन.पी.ई.)	2,571.98	2,686.83	104.46	0.93
12	पूंजीगत लेखे (एन.पी.ई.)	68.93	38.71	56.16	0.01
13	**योजना व्यय**	**42,056.25**	**33,957.85**	**80.74**	**11.70**
14	**राजस्व लेखा (पी.ई.)**	**28,456.00**	**24,252.90**	**85.23**	**8.36**
15	**पूंजीगत लेखा (पी.ई.)**	**13,600.25**	**9,704.95**	**71.36**	**3.34**
16	**कुल व्यय (9+13)**	**70,058.71**	**57,908.26**	**82.66**	**19.96**
17	**राजस्व व्यय (10+14)**	**56,389.53**	**48,164.60**	**85.41**	**16.60**
18	**पूंजीगत व्यय {12+15}**[4]	**13,669.18**	**9,743.66**	**71.28**	**3.36**
19	**राजस्व घाटा/आधिक्य {4–17}**	**5,037.14**	**5,520.65**	**109.60**	**1.90**
20	**राजकोषीय घाटा {4+5–16+6अ}**	**8,111.32**	**4,047.27**	**49.90**	**1.39**

[1]. सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹ 2,90,140.00 करोड़ की जानकारी भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कियान्वयन वेब स्थल से प्राप्त हुई है।

[2]. संघीय करों के राज्यांश की राशि ₹ 18,809.16 करोड़ तथा स्वयं के कर राजस्व ₹ 18,945.21 करोड़ सम्मिलित है।

[3]. उधार एवं अन्य दायित्व ₹ 4,107.27 करोड़, में निवल लोक ऋण (₹ 4,327.30 **करोड़**), आकस्मिकता निधि राशि (₹ 60.00 **करोड़**), निवल लोक लेखा (₹ 637.09 **करोड**) तथा निवल रोकड़ शेष (₹ –917.12 **करोड़**) सम्मिलित है।

[4]. पूंजीगत व्यय ₹ 9,743.66 करोड़ में निवल पूंजीगत व्यय (₹ 9,470.51 **करोड़**), ऋण तथा अग्रिम (₹ 272.71 **करोड़**) तथा अर्न्तराज्यीय समाशोधन (₹ 0.44 करोड़) सम्मिलित है।

घाटा	राजस्व एवं व्यय के अन्तर को निर्दिष्ट करता है। घाटे के प्रकार, घाटे को कैसे वित्त व्यवस्थित किया जाये और निधियों का बुद्धिमतापूर्ण उपयोग वित्तीय प्रबंधन की दूर दर्शिता के मुख्य संकेतक हैं।
राजस्व घाटा/आधिक्य	राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व व्यय के अन्तर को निर्दिष्ट करता है। राजस्व व्यय शासन के विद्यमान स्थापना के अनुरक्षण के अपेक्षित तथा आदर्श रूप से पूर्णतः राजस्व प्राप्तियों से मिलना चाहिए।
राजकोषीय घाटा/आधिक्य	कुल प्राप्तियों तथा कुल व्यय (उधारों को पृथक कर) के अन्तर को निर्दिष्ट करता है। अतः यह अन्तर दर्शाता है कि उधारों द्वारा किस सीमा तक व्यय को वित्त व्यवस्थित किया गया है। आदर्श रूप से उधारों को पूंजीगत परियोजनाओं में निवेश किया जाना चाहिए।

1.8 घाटा एव आधिक्य क्या संकेत करते हैं–

घाटा संकेतक, राजस्व वृद्धि तथा व्यय प्रबन्धन शासन के राजकोषीय प्रदर्शन के विवेचन के वृहद मापदण्ड हैं। बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुपालन में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा एक राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम 2005 शीर्षक से, बुद्धिमत्तापूर्ण राजकोषीय प्रबंधन एवं राजकोषीय स्थिरता, राजस्व घाटे के क्रमिक समापन, राजकोषीय स्थिरता से संगत टिकाऊ/स्थिर ऋण प्रबंधन, सरकार के राजकोषीय प्रचालनों में उच्चतर पारदर्शिता एवं राजकोषीय नीति के संचालन में एक मध्यम अवधि के राजकोषीय ढांचा सुनिश्चित करने हेतु पारित किया गया।

ऊपर दिए गए विवरण को ध्यान में रखते हुए आधिक्य की प्रमुखताएं नीचे दर्शित हैं। वर्ष 2015–16 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में 16.54 प्रतिशत की वृद्धि हुई जिसके परिणामस्वरूप राजस्व आधिक्य ₹ 5,520.65 करोड़ रहा तथा वर्ष 2015–16 की तुलना में राजस्व व्यय में 10.21 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

1.8.1 वर्ष 2016–17 तक विगत पांच वर्षों में राजस्व घाटा/आधिक्य का रूझान–

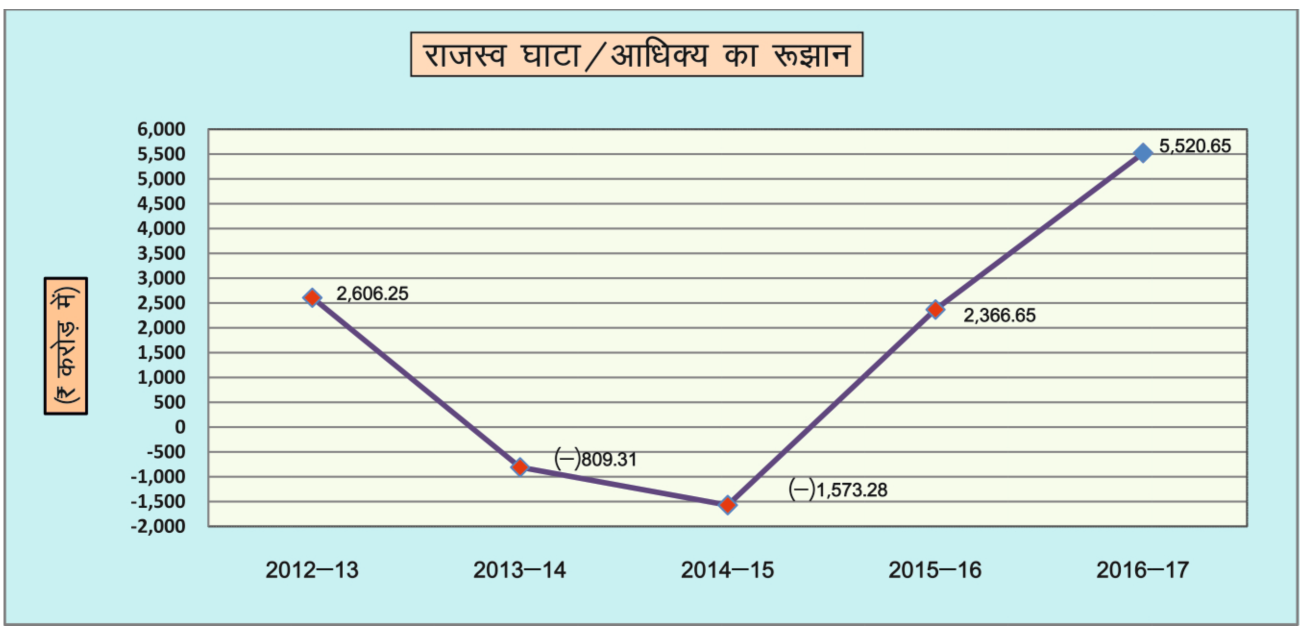

इस प्रकार, यह देखा जाता है कि 2012–13 में राजस्व आधिक्य दस्तक देने के पश्चात् 2013–14 एवं 2014–15 में राजस्व घाटा हुआ है। 2015–16 एवं 2016–17 में राज्य ने पुनः राजस्व आधिक्य प्राप्त किया।

1.8.2 वर्ष 2016—17 तक विगत पांच वर्षों में राजकोषीय घाटा/आधिक्य का रूझान—

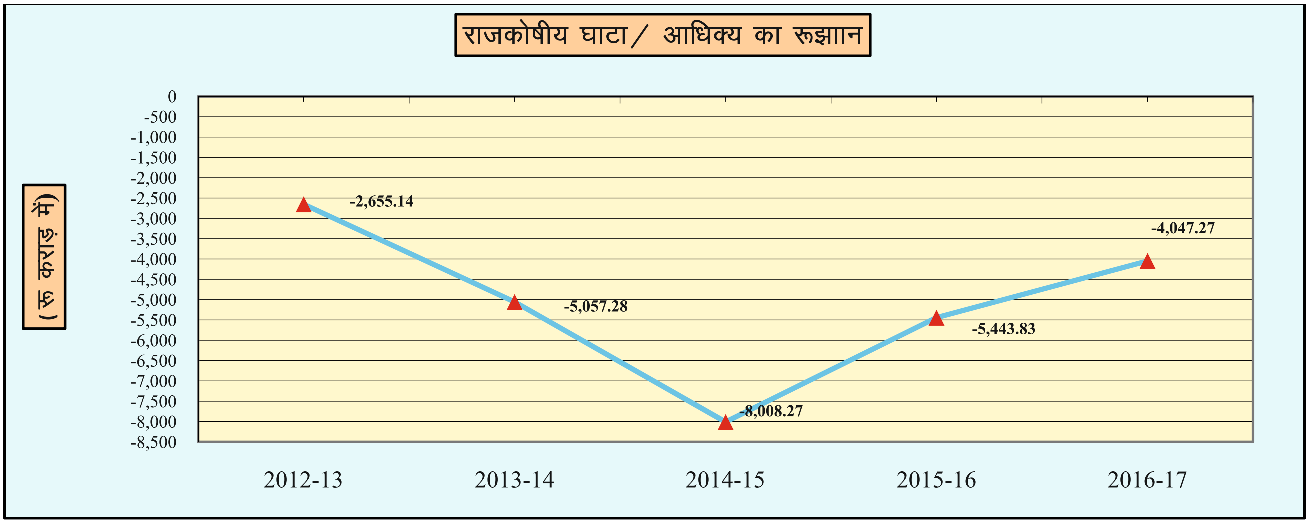

यह देखा जाता है कि राज्य में वर्ष 2014—15 से क्रमशः राजकोषीय घाटा में कमी परिलक्षित हुई हैं।

1.8.3 वर्ष 2016—17 तक विगत पांच वर्षों में पूंजीगत व्यय पर खर्च की गई उधार निधियों का अनुपात—

छत्तीसगढ़ शासन का विगत पॅाच वर्षों में उधार ली गई निधियों एवं पूंजीगत व्यय पर किए गए व्यय का अनुपातिक विवरण निम्नानुसार हैः—

सारणी—6 (₹ करोड़ में)

वर्ष	2012—13	2013—14	2014—15	2015—16	2016—17
उधार की निधियाँ	2,057.73	3,931.89	6,439.67	7,251.15	5,479.93
पूंजीगत व्यय	4,919.33	4,574.19	6,544.25	7,945.01	9,470.51

इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय के अन्तर्गत न सिर्फ उधार निधि का उपयोग किया बल्कि राजस्व प्राप्तियों का भी उपयोग किया। जिसकी बेहतर स्थिति नीचे चार्ट में दर्शायी गई हैः—

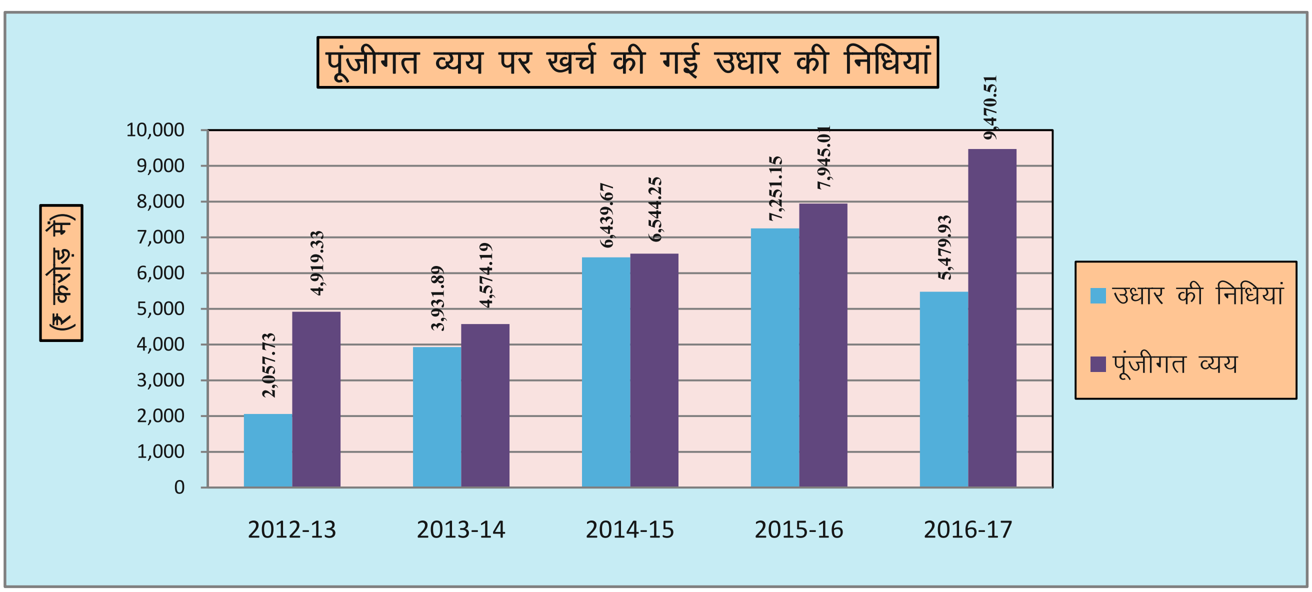

अध्याय–II

प्राप्तियाँ

2.1 परिचय–

शासन की प्राप्तियों को राजस्व प्राप्तियों एवं पूंजीगत प्राप्तियों में वर्गीकृत किया गया है। वर्ष 2016–17 की कुल प्राप्तियां ₹ 57,968.26 करोड़ थी।

2.2 राजस्व प्राप्तियां–

कर राजस्व	राज्य द्वारा एकत्रित तथा प्रतिधारित एवं संविधान के अनुच्छेद 280(3) के अधीन राज्य के संघीय कर अंश समाविष्ट होते है।
करेतर राजस्व	रॉयल्टी, ब्याज प्राप्तियां, लाभांश तथा लाभ इत्यादि सम्मिलित होते हैं।
सहायक अनुदान	अनिवार्यतः संघीय सरकार से राज्य सरकार को केन्द्रीय सहायता के रूप में मिलने वाली राशि विदेशी सरकारों से प्राप्त होने वाली बाह्य अनुदान सहायता एवं सहायता उपस्कर एवं सामग्री जिसे संघीय सरकार के माध्यम से विभिन्न सरकारों को उपलब्ध कराया जाता है। इसके साथ ही राज्य सरकार भी संस्थाओं यथा–पंचायती राज संस्थान, स्वायतशासी निकायों आदि को सहायक अनुदान देती है।

वर्ष 2016–17 के दौरान प्राप्त राजस्व प्राप्तियों में 70 प्रतिशत राजस्व कर और 11 प्रतिशत करेत्तर राजस्व सम्मिलित है जबकि शेष 19 प्रतिशत सहायता अनुदान से उपलब्ध किया गया है।

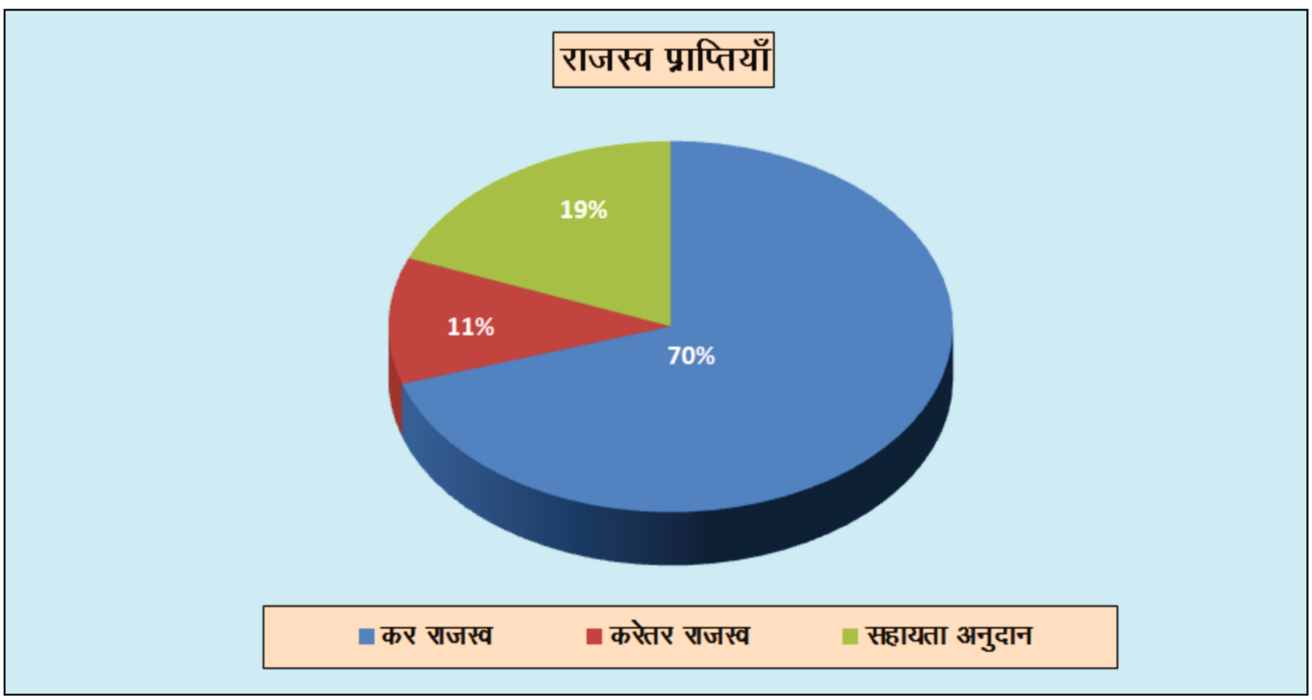

2.2.1 राजस्व प्राप्तियों के घटक (2016–17)–

सारणी–7

(₹ करोड़ में)

घटक	वास्तविक
क. कर राजस्व	**37,754.37**
आय तथा व्यय पर कर	10,212.43
सम्पत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर कर	1,728.79
वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर	25,813.15
ख. करेतर राजस्व	**5,669.25**
ब्याज प्राप्तियां लाभांश तथा लाभ	157.80
सामान्य सेवाएं	136.84
सामाजिक सेवाएं	145.56
आर्थिक सेवाएं	5,229.05
ग. सहायता अनुदान तथा अंशदान	**10,261.63**
योग–राजस्व प्राप्तियां	**53,685.25**

2.3 वर्ष 2016–17 तक विगत पांच वर्षों में प्राप्तियों का रुझान–

सारणी–8

(₹ करोड़ में)

	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17
कर राजस्व	20,251.81 (11)	22,222.93 (11)	24,070.29 (10)	32,791.33 (13)	37,754.37 (13)
करेतर राजस्व	4,615.95 (3)	5,101.17 (2)	4,929.91 (2)	5,214.79 (2)	5,669.25 (2)
सहायता अनुदान	4,710.33 (3)	4,726.16 (2)	8,987.81 (4)	8,061.59 (3)	10,261.63 (4)
योग–राजस्व प्राप्तियां	**29,578.09** (17)	**32,050.26** (15)	**37,988.01** (16)	**46,067.71** (18)	**53,685.25** (19)
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	**1,77,511.00**	**2,06,690.00**	**2,34,982.00**	**2,60,776.00**	**2,90,140.00**

टिप्पणीः कोष्टक में दिए गए आंकड़े सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता दर्शाते हैं।

वर्ष 2015–16 की तुलना मे 2016–17 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 11.26 प्रतिशत की वद्धि हुई है, जबकि राजस्व संग्रहण में 16.54 प्रतिशत की वृद्धि रही। कर राजस्व एवं करेत्तर राजस्व में क्रमशः 15.14 प्रतिशत एवं 8.71 प्रतिशत की वृद्धि हुई वहीं सहायता अनुदान में 27.29 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

स्थिति का स्तम्भ आरेख में श्रेष्ठता उल्लेख पृष्ठ संख्या–12 में चित्रित किया गया है।

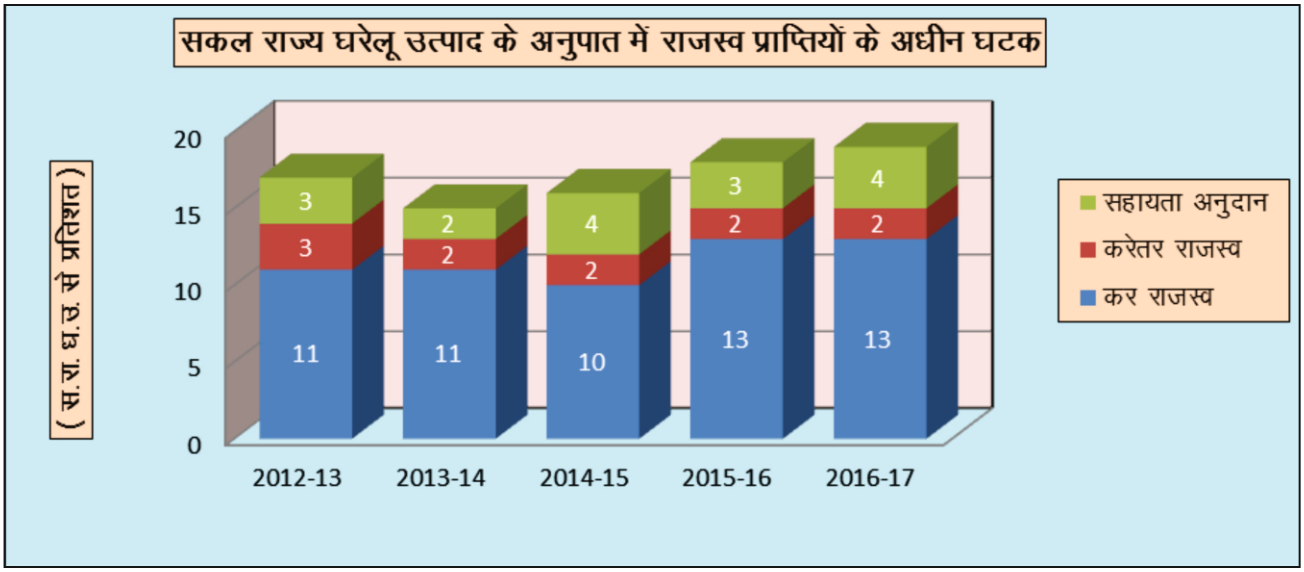

2.3.1 वर्ष 2016–17 तक विगत पांच वर्षों में क्षेत्रवार कर राजस्व–

सारणी–9 (₹ करोड़ में)

	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17
आय तथा व्यय पर कर	4,151.61	4,402.86	5,013.09	8,413.19	10,212.43
सम्पत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर कर	1,190.96	1,223.58	1,362.77	1,549.98	1,728.79
वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर	14,909.24	16,596.49	17,694.43	22,828.16	25,813.15
योग–कर राजस्व	**20,251.81**	**22,222.93**	**24,070.29**	**32,791.33**	**37,754.37**

ऊपर दर्शाई गई स्थिति चार्ट की सहायता से नीचे चित्रित की गई है:–

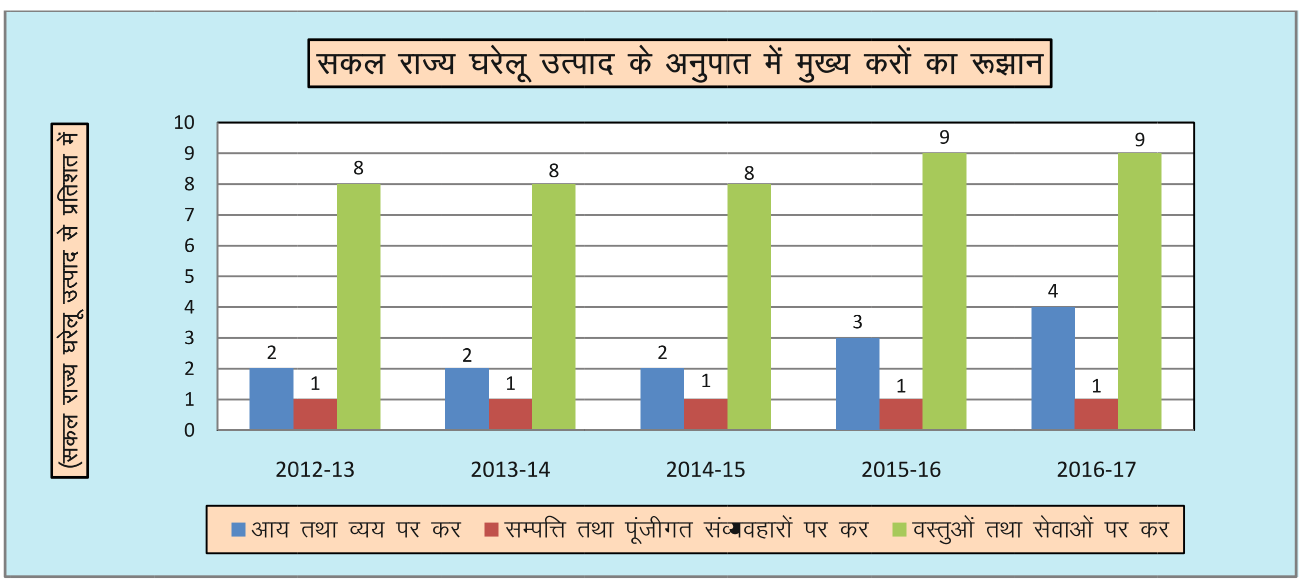

2.4 वर्ष 2016–17 तक विगत पांच वर्षों में राज्य के स्वयं के कर राजस्व संग्रहण का प्रदर्शन–

सारणी–10

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कर राजस्व	संघ करों में राज्य का अंश	राज्य का स्वयं का कर राजस्व	राज्य का स्वयं के कर राजस्व का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत
2012–13	20,251.81	7,217.60	13,034.21	7.34
2013–14	22,222.93	7,880.22	14,342.71	6.94
2014–15	24,070.29	8,363.03	15,707.26	6.68
2015–16	32,791.33	15,716.47	17,074.86	6.55
2016–17	37,754.37	18,809.16	18,945.21	6.53

2.5 वर्ष 2016–17 तक विगत पांच वर्षों में कर संग्रहण की दक्षता–

(अ) वर्ष 2016–17 तक विगत पांच वर्षों में सम्पत्ति तथा पूँजीगत संव्यवहारों पर कर –

(भू–राजस्व, टिकट, पंजीयन शुल्क तथा सम्पत्ति कर)

सारणी–11

(₹ करोड़ में)

	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17
राजस्व संग्रहण	1,190.96	1,223.58	1,362.77	1,549.98	1,728.79
संग्रहण पर व्यय	238.79	406.20	272.66	466.09	710.02
कर संग्रहण में दक्षता (प्रतिशत में)	20.05	33.20	20.01	30.07	41.07

(ब) वर्ष 2016–17 तक विगत पांच वर्षों में वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर –

(सीमा शुल्क, संघीय उत्पाद शुल्क, राज्य उत्पाद, बिक्री कर, व्यापार, वाहन कर, यात्री तथा माल ढुलाई कर, कर व शुल्क, बिजली, सेवाकर इत्यादि।)

सारणी–12

(₹ करोड़ में)

	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17
राजस्व संग्रहण	14,909.24	16,596.49	17,694.43	22,828.16	25,813.15
संग्रहण पर व्यय	201.44	240.46	340.03	458.75	492.56
कर संग्रहण में दक्षता (प्रतिशत में)	1.35	1.45	1.92	2.01	1.91

यह देखा जाता है कि सम्पत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर करों के संबंध में कर संग्रहण की दक्षता वर्ष 2016–17 में विचारणीय कमी हुई है, जबकि इसी प्रकार वस्तु तथा सेवाओं पर कर 2016–17 तक विगत तीन वर्षों में स्थिर रही है।

2.6 वर्ष 2016–17 तक विगत पांच वर्षों में संघ करों के राज्यांश का रूझान –

सारणी–13 (₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष विवरण	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17
निगम कर	2,592.61	2,650.20	2,920.41	4,950.08	6,019.53
आय पर निगम कर के अलावा कर	1,552.15	1,745.08	2,085.45	3,455.09	4,183.59
सम्पत्ति कर	4.38	7.28	7.88	0.92	13.78
सीमा शुल्क	1,199.39	1,285.73	1,352.54	2,504.03	2,589.37
संघ उत्पाद शुल्क	815.11	908.08	763.73	2,069.99	2,956.84
सेवा कर	1,053.96	1,283.85	1,232.95	2,727.11	3,045.99
वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	00	00	00	9.16	0.06
आय तथा व्यय पर अन्य कर	00	00	0.07	0.09	0.00
संघीय करों का राज्यांश	7,217.60	7,880.22	8,363.03	15,716.47	18,809.16
कुल राजस्व कर	**20,251.81**	**22,222.93**	**24,070.29**	**32,791.33**	**37,754.37**
कुल कर राजस्व में संघीय करों का प्रतिशत	36	35	35	48	50

ऊपर दिए गए विवरण से यह देखा गया कि संघ कर का राज्यांश विगत पांच वर्षों में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है तथा यह राज्य द्वारा संग्रहित कुल राजस्व कर का 50 प्रतिशत अंशदान है।

2.7 सहायता अनुदान–

सहायता अनुदान भारत सरकार से प्राप्त होने वाली सहायता राशियों को दर्शाता है तथा इसमें विभिन्न मंत्रालयों द्वारा अनुमोदित राज्य आयोजना योजनाएं तथा केन्द्र प्रवर्तित योजना/केन्द्रीय योजना एवं वित्त आयोग द्वारा प्रस्तावित आयोजनेतर अनुदान सम्मिलित है। वर्ष 2016–17 के दौरान सहायता अनुदान के अंतर्गत कुल प्राप्तियां ₹ 10,261.63 करोड़ थी जो नीचे दर्शायी गयी है।

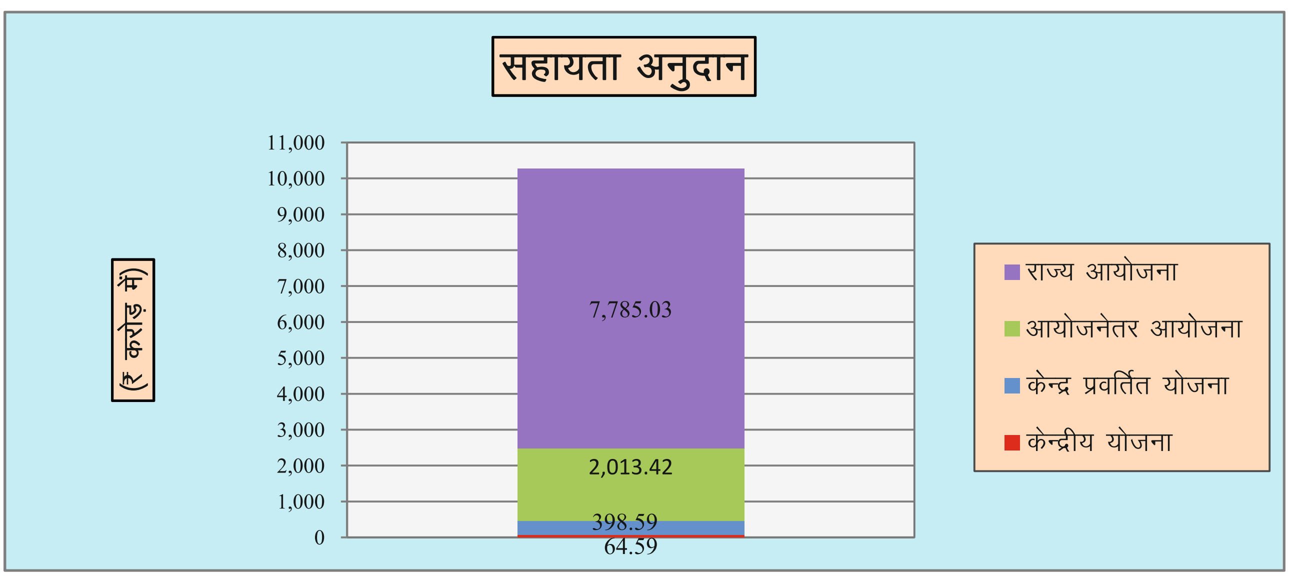

2.8 लोक ऋण–

राज्य सरकार के वर्ष 2016–17 में कुल ₹ 5,098.40 करोड के आंतरिक ऋण तथा इस अवधि के दौरान केन्द्र सरकार से ₹ 381.53 करोड़ के ऋण प्राप्त किये गये। जिसके विरूद्ध पूंजीगत व्यय ₹ 9,470.51 करोड़ रहा ।

2.9 ऋण सेवा अनुपात–

वर्ष 2016–17 के लिए ऋण सेवा निष्पादन निम्न सारणी में प्रर्दशित है:–

सारणी–14 (₹ करोड़ में)

	वर्ष के दौरान विमुक्त की गई राशि	ब्याज भुगतान	कुल सेवा भुगतान	31.03.2017 तक अंत शेष राशि	ऋण सेवा अनुपात
6003–राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	982.67	2,104.29	3,086.96	28,330.29	10.89:100
6004–केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण तथा अग्रिम	169.96	137.48	307.44	2,047.15	15.02:100
कुल लोक ऋण	**1,152.63**	**2,241.77**	**3,394.40**	**30,377.44**	**11.17:100**

उपरोक्त विवरण से देखा जाता है कि वर्ष का ऋण सेवा अनुपात 11.17:100 है।

2.10 वर्ष 2016–17 तक विगत पांच वर्षों में लोक ऋण का रूझान–

पूर्व वर्ष की तुलना में लोक ऋण की निवल वृद्धि नीचे की सारणी में प्रर्दशित है। पूर्व वर्ष के अन्तशेष, वर्ष के दौरान प्राप्ति एवं भुगतान को गणना कर लेखे में शामिल की गयी है।

सारणी–15 (₹ करोड़ में)

मदें	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17
आंतरिक ऋण	1,170.81	3,376.74	5,251.43	6,019.76	4,115.73
केन्द्रीय ऋण	(–)152.37	(–)134.50	(–)148.49	(–)18.79	211.57
कुल लोक ऋण	**1,018.44**	**3,242.24**	**5,102.94**	**6,000.97**	**4,327.30**

टीप:– 1. ऋणात्मक आंकड़ें प्राप्तियों से अधिक पुनर्भुगतान किया जाना दर्शाता है।
2. शुद्ध आंकड़ें =प्राप्ति–वितरण।

अध्याय–III

व्यय

3.1 परिचय–

व्यय में राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय सम्मिलित है। विभिन्न संगठनों/विभागों में दैनिक व्यय के पूर्ति हेतु राजस्व व्यय का उपयोग होता है। पूंजीगत व्यय का उपयोग स्थायी सम्पत्तियों के निर्माण अथवा ऐसी सम्पत्तियों की उपयोगिता में वृद्धि करने या स्थायी देयताओं को कम करने में होता है। राजस्व एवं पूँजीगत व्यय को पुनः सामान्य सेवाएं, सामाजिक सेवाएं तथा आर्थिक सेवाएं में वर्गीकृत किया गया है।

सामान्य सेवाएं	इसमें न्याय, पुलिस, जेल, लोक निर्माण विभाग,पेंशन इत्यादि सम्मिलित है।
सामाजिक सेवाएं	इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण, जलापूर्ति तथा अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण इत्यादि सम्मिलित है।
आर्थिक सेवाएं	इसमें कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई, सहकारिता, उर्जा, उद्योग, परिवहन इत्यादि सम्मिलित है।
सहायता अनुदान	स्थानीय निकायों एवं पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति एवं समानुदेशन।

3.2 वर्ष 2016–17 तक विगत पांच वर्षों में राजस्व व्यय की तुलना में बजट–

छत्तीसगढ़ शासन के विगत पॉच वर्षों के बजट अनुमान के विरूद्ध वास्तविक व्यय के मध्य अन्तर का प्रतिशत निम्नानुसार हैः–

सारणी–16 (₹ करोड़ में)

	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17
बजट अनुमान	31,576.24	34,981.20	46,190.78	53,726.82	56,389.53
वास्तविक व्यय	26,971.84	32,859.57	39,561.29	43,701.06	48,164.60
अन्तर	4,604.40	2,121.63	6,629.49	10,028.76	8,224.93
बजट अनुमान से अन्तर का प्रतिशत	15	6	14	19	15

यह देखा जाता है कि विगत पांच वर्षों मे बजट अनुमान निरन्तर उच्च रहा है जो कि इस प्रकार बजट तैयारी में अपर्याप्त प्रबंधन को दर्शाता है।

3.2.1 राजस्व व्यय प्रक्षेत्रवार विवरण वर्ष 2016–17–

सारणी–17 (₹ करोड़ में)

घटक	राशि	प्रतिशत
क. राजकोषीय सेवाएं		
(i) सम्पत्ति तथा पूंजीगत लेनदेन पर कर संग्रहण	710.02	1.50
(ii) वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर संग्रहण	492.56	1.02
(iii) अन्य राजकोषीय सेवाएं	0.90	0.00
राज्य के अंग	304.68	0.63
ब्याज अदायगी तथा ऋण सेवाएं	2,886.83	6.00
प्रशासनिक सेवाएं	3,614.70	7.50
पेंशन तथा विविध सामान्य सेवाएं	3,486.54	7.24
ख. सामाजिक सेवाएं	21,341.61	44.30
ग. आर्थिक सेवाएं	14,176.21	29.43
घ. सहायता अनुदान तथा अंशदान	1,150.55	2.38
योग–व्यय (राजस्व लेखा)	**48,164.60**	**100**

ऊपर उल्लिखित सूचनाएं सरकार की सामाजिक सेवाओं के प्रति प्राथमिकता को दर्शाती हैं।

3.2.2 वर्ष 2016–17 तक विगत पांच वर्षों में राजस्व व्यय के प्रक्षेत्र वार विवरण –

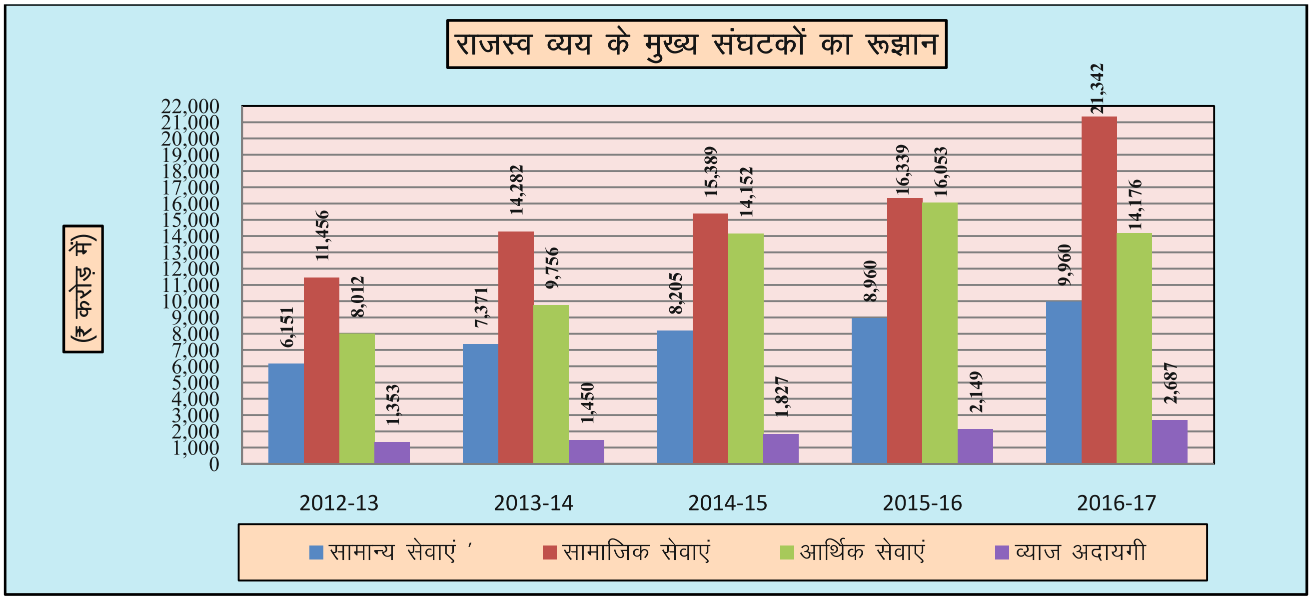

* सामान्य सेवाएं में ब्याज अदायगी (2049) एवं ऋण शोधन (2048) की राशि सम्मिलित नहीं है, स्थानीय निकायों को क्षतिपूर्ति एवं समानुदेशन (3604) की राशि सम्मिलित की गई है।

3.3 पूंजीगत व्यय–

3.3.1 वर्ष 2016–17 तक विगत पांच वर्षों में पूंजीगत व्यय का प्रक्षेत्र वार विवरण–

सारणी–18 (₹ करोड़ में)

क्र.	क्षेत्र	राशि	प्रतिशत
1	**सामान्य सेवाएं**–पुलिस, भू–राजस्व आदि	187.54	1.92
2	**समाजिक सेवाएं**–शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जल आपूर्ति, आदिम जाति/जनजाति कल्याण आदि	2,460.62	25.25
3	**आर्थिक सेवाएं**–कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई, सहकारिता उर्जा, उद्योग आदि	6,822.35	70.03
4	**ऋण तथा अग्रिम**–संवितरण	272.71	2.80
5	**अन्तर्राज्यीय समायोजन**	0.44	0.00
	योग	**9,743.66**	**100**

वर्ष 2016–17 के दौरान राज्य सरकार द्वारा विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं में ₹ 1,888.14 करोड़ व्यय किये गये जिसमें वृहद सिंचाई में ₹ 691.60 करोड़, मध्यम सिंचाई में ₹ 118.08 करोड़ तथा लघु सिंचाई मे ₹ 1,045.88 करोड़, कमान क्षेत्र विकास में ₹ 17.59 करोड़ एवं बाढ़ नियंत्रण में ₹ 14.99 करोड़ व्यय किए गए। इसके अतिरिक्त शासन द्वारा भवन निर्माण पर ₹ 2,363.63 करोड़, सड़क एवं पुलों पर ₹ 3,408.03 करोड़ तथा विभिन्न निगमों/शासकीय कम्पनियों/सहकारिताओं में ₹ 588.74 करोड़ निवेश किए गए।

3.3.2 वर्ष 2016–17 तक विगत पांच वर्षों में पूंजीगत व्यय का प्रक्षेत्रवार वितरण–

नीचे दी गई सारणी विगत पांच वर्षों में पूजीगत व्यय का क्षेत्रवार विवरण को दर्शाती हैः–

सारणी–19 (₹ करोड़ में)

क्र.सं.	क्षेत्र	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17
1	सामान्य सेवाएं	125.37	182.42	257.74	362.33	187.54
2	समाजिक सेवाए	950.63	691.96	1,559.87	1,807.01	2,460.62
3	आर्थिक सेवाएं	3,843.33	3,699.81	4,726.64	5,775.67	6,822.35
4	लोक ऋण	11,704.00	14,946.24	20,049.18	26,050.15	30,377.44
5	ऋण तथा अग्रिम	1,888.79	1,318.53	88.32	164.73	272.71
6	अन्तर्राज्यीय समायोजन	(–)0.80	5.30	1.22	0.49	0.44
7	आकस्मिकता निधि विनियोग	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
	योग	18,511.32	20,844.26	26,682.97	34,160.38	40,181.10

3.3.3. वर्ष 2016–17 तक विगत पांच वर्षों में पूंजीगत लेखे के अन्तर्गत आयोजना व्यय–

सारणी–20 (₹ करोड़ में)

	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17
कुल पूंजीगत व्यय	6,807.32	5,898.02	6,632.57	8,109.74	9,743.22
पूंजीगत व्यय (आयोजना)	6,795.29	5,889.18	6,612.98	8,107.78	9,704.51
कुल पूंजीगत व्यय से पूंजीगत व्यय (आयोजना) का प्रतिशत	99.82	99.85	99.70	99.98	99.60

3.4 विकास व्यय–

व्यय के आंकड़ो का विश्लेषण विकास तथा गैर विकास व्यय में विभाजन किया गया है। सामान्य सेवाओं पर किए गए व्यय को गैर विकास व्यय तथा सामाजिक सेवा क्षेत्र व आर्थिक क्षेत्र में किए गए व्यय का विकसित व्यय के अन्तर्गत माना गया है। वर्ष 2016–17 के दौरान राजस्व, पूंजीगत तथा ऋण एवं अग्रिम शीर्ष से राज्य द्वारा विकास पर किया गया व्यय निम्नवत हैः–

सारणी–21 (₹ करोड़ में)

क्षेत्र	राजस्व	पूंजीगत	ऋण एवं अग्रिम
सामाजिक सेवाएं	21,341.61	2,460.62	170.57
आर्थिक	14,176.21	6,822.35	102.14
कुल	**35,517.82**	**9,282.97**	**272.71**

अध्याय– IV

आयोजना एवं आयोजनेतर व्यय

4.1 व्यय का वितरण (2016–17)–

वर्ष 2016–17 के दौरान, ₹ 57,908.26 करोड का कुल व्यय हुआ जिसमें ₹ 33,957.85 करोड (59 प्रतिशत) आयोजना व्यय और ₹ 23,950.41 करोड (41 प्रतिशत) आयोजनेत्तर व्यय था। विवेचन के लिए नीचे पाई चार्ट दिया गया है। आयोजना व्यय में राज्य आयेाजना के अन्तर्गत ₹ 20,469.83 करोड, केन्द्र प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत ₹ 13,214.87 करोड़, ऋण एवं अग्रिम के तहत ₹ 272.71 करोड तथा अन्तर्राज्यीय समाशोधन के अन्तर्गत ₹ 0.44 करोड सम्मिलित है।

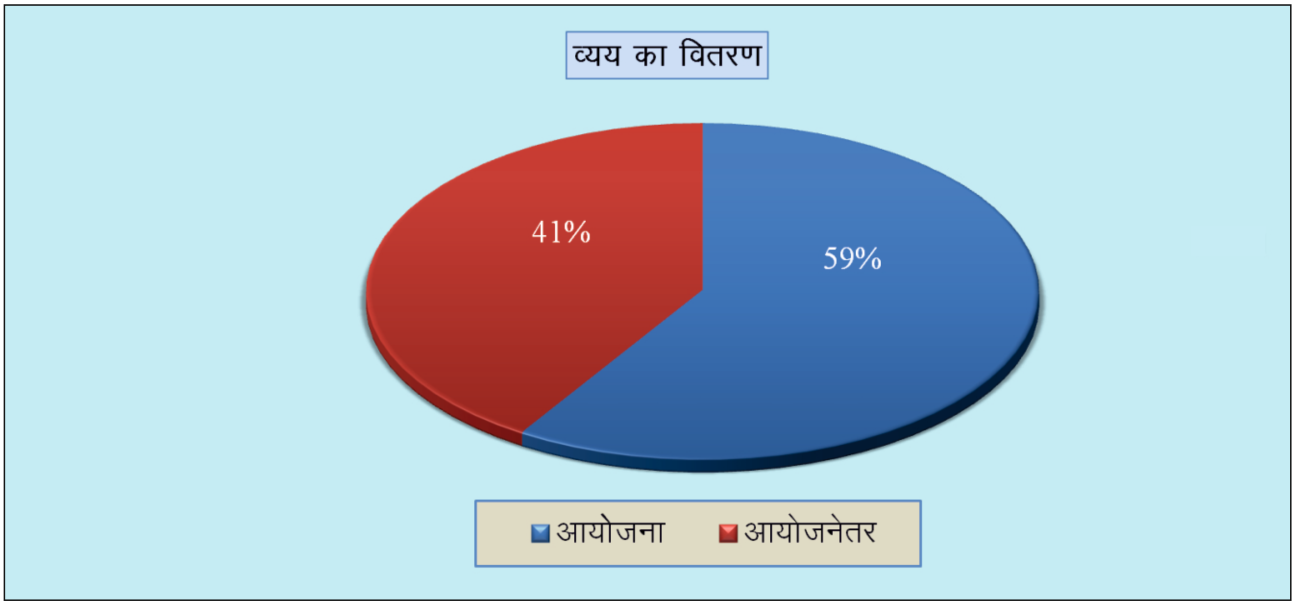

4.2 वर्ष 2016–17 तक विगत पांच वर्षों में आयोजना व्यय का विश्लेषण–

नीचे दिए गए आरेख में आयोजना व्यय को कुल व्यय तथा जी.एस.ड़ी.पी. के समानुपात में दर्शाया गया है:–

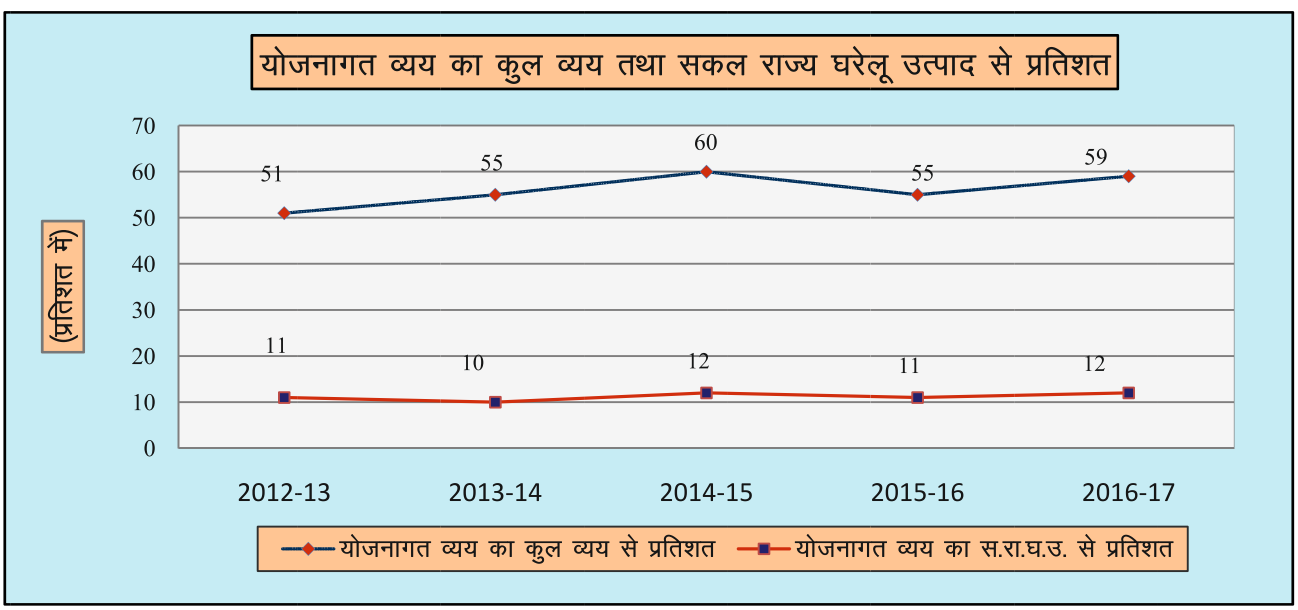

4.3 वर्ष 2016–17 तक विगत पांच वर्षों में आयोजनेतर व्यय–

वर्ष 2016–17 के दौरान आयोजनेतर व्यय, कुल संवितरण का 41 प्रतिशत प्रदर्शित करता है, ₹ 23,950.41 करोड़ (राजस्व के अन्तर्गत ₹ 23,911.70 करोड़, पूंजीगत के अन्तर्गत ₹ 38.71 करोड़) था। नीचे दिए गए आरेख में आयोजनेत्तर व्यय को कुल व्यय तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के समानुपात में दर्शाया गया है:–

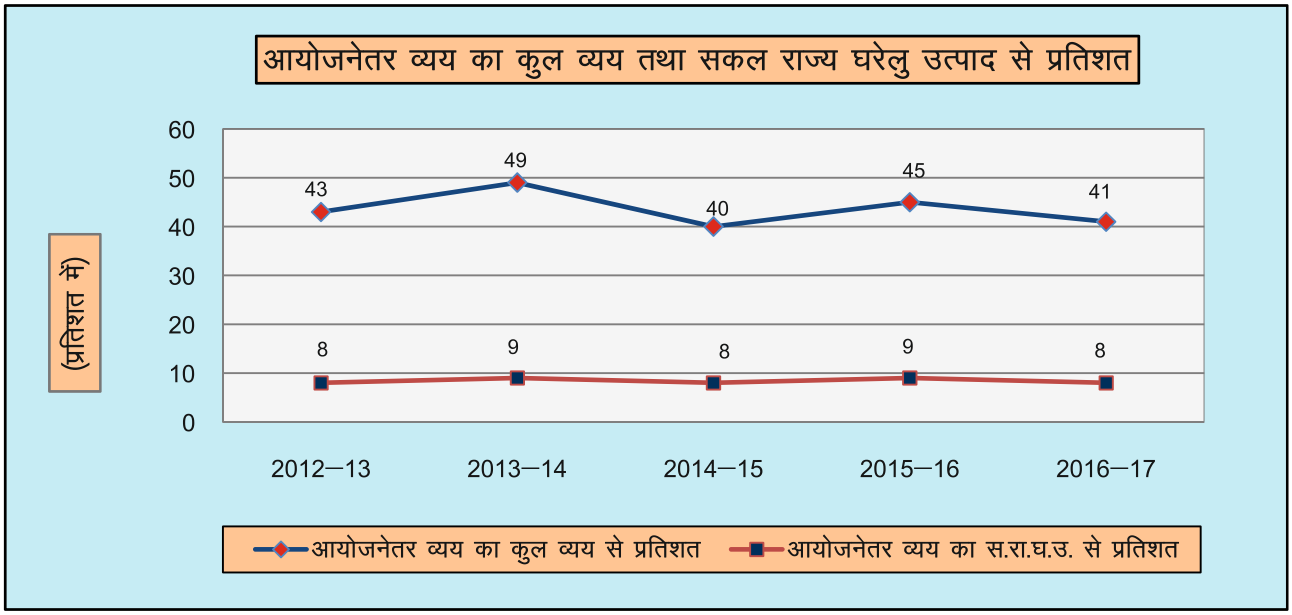

4.4 वर्ष 2016–17 तक विगत पांच वर्षों में वेतन, पेंशन तथा ब्याज पर व्यय–

राजस्व व्यय में वेतन, पेंशन भुगतान और ब्याज अदायगी व्यय आादि का विशेष भाग सम्मिलित है निम्न आरेख में पांच वर्षों की स्थिति दर्शायी गयी है:–

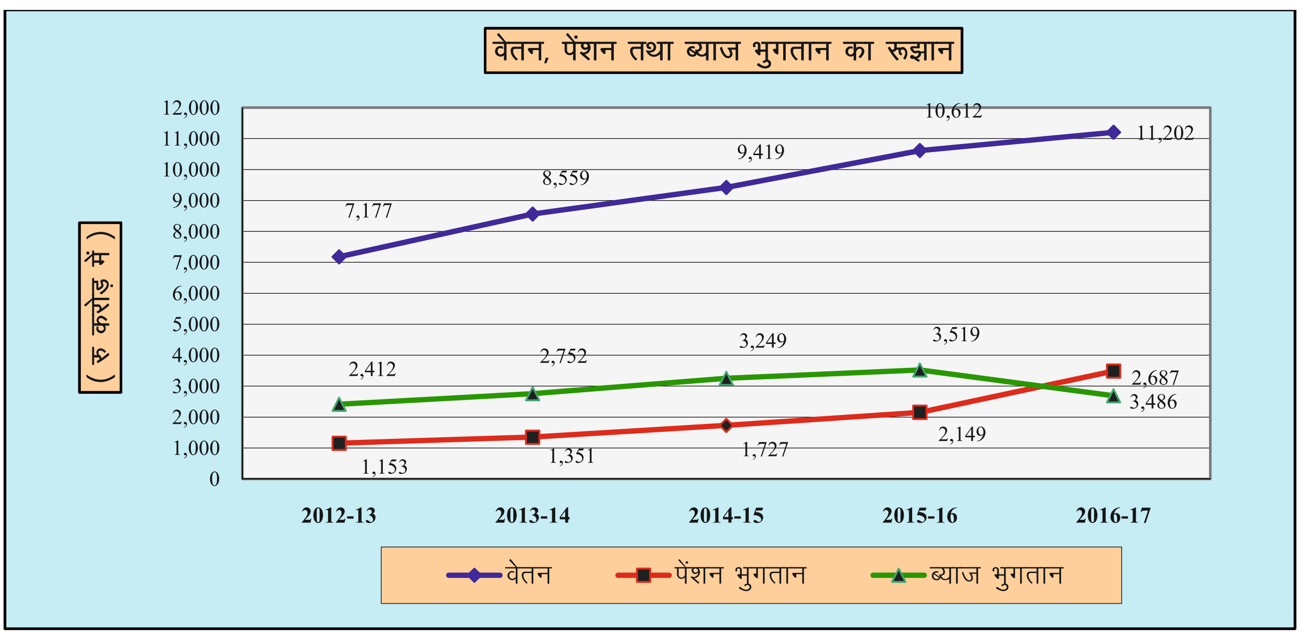

यह देखा जाता है कि वेतन एवं पेशन पर व्यय उतरोत्तर वृद्धि हुई है जबकि वर्ष 2016–17 में ब्याज भुगतान पर व्यय में कमी हुई है।

टिप्पणी: वेतन में नियमित कर्मचारियों का वेतन एवं कार्यभारित स्थापना वेतन सम्मिलित है।

4.4.1 वर्ष 2016–17 तक विगत पांच वर्षों में राजस्व प्राप्तियों पर व्यय के परिपेक्ष्य मे वेतन, ब्याज अदायगी और पेंशन पर व्यय का प्रतिशत–

सारणी–22 (₹ करोड़ में)

घटक	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17
वेतन, पेंशन तथा ब्याज पर व्यय	12,022.82	12,662.40	14,395.00	16,280.00	17,375.42*
राजस्व व्यय	26,971.84	32,859.57	39,561.29	43,701.06	48,164.60
राजस्व प्राप्ति से व्यय का प्रतिशत	41	40	38	35	36
राजस्व व्यय से व्यय का प्रतिशत	45	39	36	37	32

* उपरोक्तानुसार में सहायता अनुदान से राशि ₹ 2,868.42 करोड़ वेतन का भुगतान किया गया जिसमें ₹ 558.65 करोड़ की मजदूरी सम्मिलित नहीं है।

वर्ष 2015–16 की तुलना में वेतन, पेंशन तथा ब्याज पर व्यय में 6.73 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

4.5 व्यय का अतिरेक–

वर्ष के व्यय का नियमित प्रवाह पर बजट नियंत्रण की प्राथमिक आवश्यकता है। अत्यधिक व्यय, विशेषतः वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में वित्तीय नियमों का उल्लंघन माना जाता है। यद्यपि यह ध्यान में आया है, कि अधोलिखित प्रकरणों में मार्च 2017 के दौरान किया गया व्यय, वर्ष के दौरान किये गए कुल व्यय के 52 प्रतिशत और 90 प्रतिशत की सीमा के मध्य था जो वित्तीय वर्ष के अंत में बजट प्रावधानित राशि प्रयुक्त किये जाने की प्रवृत्ति को इंगित करता है ।

सारणी–23 (₹ करोड़ में)

लेखा शीर्ष	विवरण	प्रथम त्रैमासिक	द्वितीय त्रैमासिक	तृतीय त्रैमासिक	चतुर्थ त्रैमासिक	योग	मार्च 2017 का व्यय	कुल व्यय से मार्च 2017 का प्रतिशत
2039	राज्य आबकारी	19.85	22.45	25.03	99.28	166.61	86.45	51.89
2075	विविध सामान्य सेवायें	0.01	0.00	0.01	0.25	0.27	0.24	89.01
2435	अन्य कृषि कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	16.96	16.96	11.17	68.96
3452	पर्यटन	2.00	2.55	1.88	16.43	22.85	16.43	71.89
4055	पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.02	1.74	26.97	28.74	22.03	76.68
4225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	1.87	11.31	51.85	301.85	366.88	228.90	62.39
4235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	0.25	0.04	25.99	50.80	77.07	43.42	56.33
4801	बिजली पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	200.00	82.00	538.01	820.00	420.00	51.22
4810	ऊर्जा के गैर परम्परागत संसाधनों पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	13.20	74.00	228.03	315.23	228.03	72.34

अध्याय–V

विनियोग लेखे

5.1 विनियोग लेखे का सार (2016–17)–

सारणी–24 (₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	व्यय का प्रकार	मूल अनुदान/विनियोग	पूरक अनुदान	समर्पण/पुन–र्विनियोजन	योग	वास्तविक व्यय	बचत(–) आधिक्य(+)
1	राजस्व–						
	दत्तमत	54,138.38	4,870.41	(–)9,673.35	49,335.44	45,401.78	(–)3,933.66
	प्रभारित	*3,264.17*	*106.30*	*(–)21.14*	*3,349.33*	*3,300.88*	*(–)48.45*
2	पूंजीगत–						
	दत्तमत	13,955.81	1,141.93	(–)4,955.40	10,142.34	10,261.34	+119.00
	प्रभारित	*26.73*	*0.00*	*(–)5.71*	*21.02*	*21.03*	*+0.01*
3	लोक ऋण– *प्रभारित*	*1,946.33*	*0.00*	*(–)793.70*	*1,152.63*	*1,152.63*	*0.00*
4	ऋण तथा अग्रिम– दत्तमत	664.81	27.35	(–)395.05	297.11	272.71	(–)24.40
5	अन्तर्राज्यीय समाशोधन– दत्तमत	0.10	0.00	0.00	0.10	0.44	+0.34
6	आकस्मिक निधि विनियोग	0.00	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00
	योग	73,996.33	6,205.99	(–)15,844.35	64,357.97	60,470.81	(–)3,887.16

5.2 वर्ष 2016–17 तक विगत पांच वर्षों के बचत/आधिक्य का रूझान–

सारणी–25 (₹ करोड़ में)

बचत (–)/आधिक्य (+)						योग
वर्ष	राजस्व	पूंजीगत	लोक ऋण	ऋण तथा अग्रिम	अन्तर्राज्यीय समाशोधन	
2012–13	(–)2,217.50	(–)1,421.23	0.00	(–)63.25	(–)0.81	(–)3,702.79
2013–14	(–)1,396.41	(–)1,001.66	0.00	(–)11.71	+5.30	(–)2,404.48
2014–15	(–)2,010.32	(–)776.90	+107.25	(–)103.75	+1.12	(–)2,782.60
2015–16	(–)514.79	(–)2,151.35	(–)0.47	(–)2.49	(–)0.39	(–)2,668.71
2016–17	(–)3,982.11	+119.01	0.00	(–)24.40	+0.34	(–)3,887.16

5.3 महत्वपूर्ण बचते–

अनुदान के अन्तर्गत अधिक बचतें कुछ योजनाओं/कार्यक्रमों का क्रियान्वयन न होने या धीमी गति से क्रियान्वित किए जाने का द्योतक है। कुछ अनुदानों के अन्तर्गत निरन्तर हुई अंतिम बचतें एवं विशिष्ट बचतें निम्नानुसार हैं:–

सारणी–26 (बचत प्रतिशत में)

अनुदान संख्या	नाम	दत्तमत/प्रभारित	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17
राजस्व							
28	राज्य विधानसभा	प्रभारित	63.50	83.66	76.66	68.62	75.55
		दत्तमत	41.21	33.64	26.59	34.17	37.43
36	परिवहन	प्रभारित	42.11	100.00	100.00	63.58	99.50
		दत्तमत	38.77	38.52	36.58	2.32	9.16
64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	दत्तमत	15.39	10.53	12.26	7.33	5.46
67	लोक निर्माण कार्य–भवन	दत्तमत	7.99	4.33	16.08	24.98	13.44
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	प्रभारित	100.00	100.00	26.19	73.81	73.81
		दत्तमत	21.69	25.94	10.26	4.37	9.49
पूंजीगत							
41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	दत्तमत	3.00	5.00	6.00	4.29	1.18

5.4 अनुपूरक अनुदान/विनियोग जो अनावश्यक सिद्ध हुए–

वर्ष 2016–17 के दौरान कुल ₹ 6,205.99 करोड़ का अनुपूरक अनुदान/विनियोग प्राप्त किया गया जो कि कुल व्यय का 10.26 प्रतिशत था। कुछ प्रकरणों में मूल प्रावधान से कम व्यय होने के कारण बचत हुई तथापि वर्ष के दौरान अनुपूरक अनुदान प्राप्त किया गया जो अनावश्यक सिद्ध हुआ, जानकारी निम्नानुसार हैः–

सारणी–27 (₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	नाम	अनुभाग	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय
01	सामान्य प्रशासन	राजस्व	184.87	16.18	165.40
03	पुलिस	राजस्व	3,290.78	31.79	2,734.13
04	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व	31.45	0.90	15.72
06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	5,301.78	7.99	3,566.95
10	वन	राजस्व	996.46	1.52	767.84
11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	197.59	2.11	149.28
12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	906.99	145.00	742.57
13	कृषि	राजस्व	1,217.53	49.34	1,072.30
14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	416.58	2.76	306.08
15	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत त्रि–स्तरीय पंचायती राज निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	115.04	37.42	107.72
16	मछली पालन	राजस्व	51.93	2.71	47.46
17	सहकारिता	राजस्व	191.07	37.00	186.84
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व	1,642.92	64.50	1,418.93
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राजस्व	359.43	0.13	276.18
21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	176.82	0.25	88.29
26	संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	36.05	3.50	33.56
27	स्कूल शिक्षा	राजस्व	4,307.81	229.50	3,539.55
28	राज्य विधान मण्डल	राजस्व	54.35	3.50	34.72
29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	राजस्व	364.00	5.52	251.84
31	योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	53.80	0.20	22.51
33	आदिम जाति कल्याण	राजस्व	1,953.74	6.35	1,586.40
36	परिवहन	राजस्व	62.25	0.41	34.95
37	पर्यटन	राजस्व	33.85	6.38	22.85
39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	2,070.91	40.45	1,654.60
41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	राजस्व	9,253.19	969.10	7,414.71
44	उच्च शिक्षा	राजस्व	654.88	7.75	439.76
46	विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा	राजस्व	15.25	0.20	12.22
47	तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग	राजस्व	464.94	49.94	339.47
49	अनुसूचित जाति कल्याण	राजस्व	40.00	0.25	28.18

53	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत शहरी निकायें को वित्तीय सहायता	राजस्व	26.87	6.48	14.16
55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	राजस्व	943.77	20.55	645.61
56	ग्रामीण उद्योग	राजस्व	90.86	0.05	76.60
64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	राजस्व	3,055.62	451.06	2,712.31
66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	राजस्व	275.60	21.22	254.60
67	लोक निर्माण कार्य–भवन	राजस्व	662.94	0.87	426.57
69	शहरी प्रशासन एवं विकास विभाग–शहरी कल्याण	राजस्व	819.83	327.00	729.38
71	सूचना एवं जैव प्रौद्योगिकी	राजस्व	101.05	6.00	58.20
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	548.19	0.08	402.64
82	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत त्रि–स्तरीय पंचायती राज निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	1,581.04	321.64	1,484.54
83	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	41.71	5.37	37.67
03	पुलिस	पूंजीगत	28.77	7.11	28.72
14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	पूंजीगत	13.07	0.22	6.02
21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	पूंजीगत	614.05	43.16	478.33
24	लोक निर्माण कार्य–सड़कें और पुल	पूंजीगत	1,709.75	28.00	931.06
29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	पूंजीगत	40.00	0.51	0.69
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	पूंजीगत	703.41	4.58	549.68
37	पर्यटन	पूंजीगत	33.50	14.99	26.61
47	तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग	पूंजीगत	97.76	3.06	33.00
55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	पूंजीगत	62.43	0.08	48.67
64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	पूंजीगत	1,249.04	75.54	832.06
67	लोक निर्माण कार्य–भवन	पूंजीगत	619.06	24.65	392.44
80	त्रि–स्तरीय पंचायती राज निकायों को वित्तीय सहायता	पूंजीगत	362.00	9.92	141.92
81	शहरी निकायों को वित्तीय सहायता	पूंजीगत	297.47	100.0	288.10

अध्याय–VI

परिसम्पत्तियां तथा देयताएं

6.1 परिसम्पत्तियां–

लेखाओं का विद्यमान स्वरूप शासकीय परिसम्पत्ति जैसे भूमि, भवन आदि के जिस वर्ष में क्रय/अर्जन किये गये हैं, को छोड़कर, सही मूल्यांकन चित्रित नहीं करते हैं। इसी तरह जबकि लेखे वर्तमान वर्ष में उत्पन्न देयताओं के प्रभाव उसी वर्ष में डालते हैं, वे कुछ सीमा तक ब्याज की दर एवं विद्यमान उधार की अवधि को छोड़कर भावी पीढ़ी पर कुल मिलाकर डाले गये प्रभाव को चित्रित नहीं करते हैं।

वर्ष 2016–17 के अन्त तक गैर वित्तीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अंश पूंजी के रूप में कुल निवेश ₹ 6,778.60 करोड़ रहा। इस प्रकार वर्ष 2016–17 के दौरान निवेश पर ₹ 0.55 करोड़ (0.01 प्रतिशत) का लाभांश प्राप्त किया। वर्ष 2016–17 के दौरान निवेश में ₹ 586.38 करोड़ की वृद्धि तथा लाभांश आय में ₹ 5.18 करोड़ की वृद्धि हुई।

31 मार्च 2016 को भारतीय रिजर्व बैंक के तथा रोकड़ शेष ₹(–)577.94 करोड़ था तथा मार्च 2017 के अन्त में ₹ 339.18 करोड़ रहा था।

6.2 ऋण एवं देयताएं–

भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 के अनुसार राज्य की समेकित निधि की प्रतिभूति पर उस सीमा में, यदि कोई हो, जैसा की समय समय पर राज्य विधान सभा द्वारा निर्धारित की गई हो, राज्य सरकार को उधार लेने की शक्ति प्रदत्त की गई है।

राज्य सरकार के वर्ष 2016–17 तक विगत पांच वर्ष के लोक ऋण तथा कुल देयताएं का विवरण निम्नानुसार है:–

सारणी–27 (₹ करोड़ में)

वर्ष	लोक ऋण	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत	लोक लेखा	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत	कुल देयताएं	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत
2012–13	11,704.00	6.59	7,564.48	4.26	19,268.48	10.85
2013–14	14,946.24	7.23	9,955.74	4.82	24,901.98	12.05
2014–15	20,049.18	8.53	11,131.84	4.74	31,181.02	13.27
2015–16	26,050.15	9.99	11,766.44	4.51	37,816.59	14.50
2016–17	30,377.45	10.47	13,053.41	4.50	43,430.86	14.97

वर्ष 2015–16 की तुलना में वर्ष 2016–17 में लोकऋण तथा अन्य देयताओं में ₹ 5,614.27 करोड़ (14.85 प्रतिशत) की निवल वृद्धि हुई है।

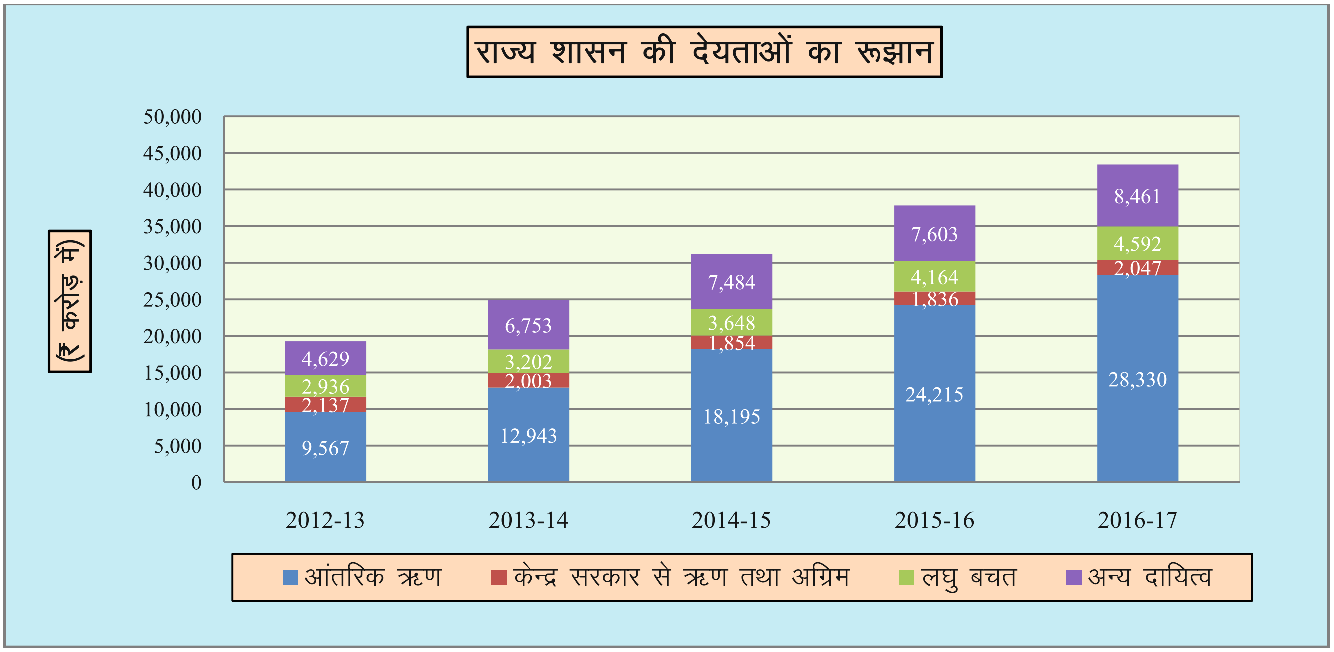

6.3 प्रत्याभूतियां–

संविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, निगमों, सहकारी संस्थाओं आदि द्वारा लिए गए कर्जों और पूंजी के पुनर्भुगतान तथा उन पर देय ब्याज के भुगतान के लिए राज्य सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियों की स्थिति निम्नानुसार है:–

सारणी–28 (₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रत्याभूत राशि (केवल मूलधन)	बकाया राशि	
		मूलधन	ब्याज
2012–13	6,605.49	2,694.90	प्रतीक्षित
2013–14	7,571.99	3,358.57	प्रतीक्षित
2014–15	9,080.06	2,314.47	प्रतीक्षित
2015–16	14,883.41	1,988.24	प्रतीक्षित
2016–17	12,641.13	3,982.97	प्रतीक्षित

उपरोक्तानुसार यह देखा जाता है कि वर्ष 2016–17 में ऋणियों द्वारा एकमात्र मूलधन की लंबित राशि में विचारणीय वृद्धि की गई है।

अध्याय– VII

अन्य मदें

7.1 राज्य सरकार द्वारा वितरित/दिए गए ऋण एवं अग्रिम–

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2016–17 के वर्षान्त तक ₹ 1,373.68 करोड़ के कुल ऋण एवं अग्रिम दिए गए हैं जो सरकारी निगमों/कम्पनियों, गैर सरकारी संस्थाओं, स्थानीय निकायों हेतु ऋण एवं अग्रिम से संबंधित थे। मार्च 2017 के अन्त तक ₹ 542.67 करोड़ मूल एवं ₹ 17.82 करोड़ ब्याज की वसूली बकाया है।

7.2 स्थानीय निकायों एवं अन्य को वित्तीय सहायता–

विगत पॉच वर्षों के दौरान स्थानीय निकायों आदि को सहायता अनुदान 2012–13 में ₹ 7,043.85 करोड़ से बढ़कर 2016–17 में ₹ 13,246.25 करोड़ हो गया है। जो कि पूर्व वर्षो की तुलना में 36.87 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2016–17 के दौरान राज्य शासन द्वारा मुख्यतः शहरी निकायों को (24.48 प्रतिशत), पंचायती राज्य संस्थाओं को (67.19 प्रतिशत), शैक्षणिक संस्थाओं को (2.44 प्रतिशत) एवं अन्य संस्थाओं को (1.64 प्रतिशत) वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

7.2.1 वर्ष 2016–17 तक विगत पांच वर्षों के सहायक अनुदान का विवरण निम्नानुसार है :–

सारणी–29 (₹ करोड़ में)

स्थानीय निकायों एवं अन्यों को वित्तीय सहायता	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17
शैक्षणिक संस्थाएं(अनुदानित शालाएं,महाविद्यालय, विश्वविद्यालय)	223.27	242.42	261.87	273.80	323.76
विद्युत/उर्जा	672.81	254.67	458.00	1,213.06	474.89
कृषि	71.00	77.39	82.50	89.04	95.82
शहरी निकायों	2,055.21	2,002.56	1,919.54	1,785.97	3,234.45
पंचायती राज संस्थानों	3,897.95	4,954.99	7,797.54	6,246.71	8,899.54
अन्य संस्थानों	123.61	118.70	53.86	69.60	217.79
योग	**7,043.85**	**7,650.73**	**10,573.31**	**9,678.18**	**13,246.25**

7.3 रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश–

वर्ष 2016–17 के लिए राज्य सरकार की रोकड़ शेष की स्थिति एवं रोकड़ शेष निवेश निम्नानुसार है–

सारणी–30 (₹ करोड़ में)

घटक	01 अप्रैल 2016 के अनुसार	31 मार्च 2017 के अनुसार	निवल वृद्धि(+)/कमी(–)
रोकड़ शेष	(–)577.94	339.18	(+)917.12
रोकड़ शेष से निवेश (भारत सरकार के कोषालय बिल एवं प्रतिभूतियां)	1,856.17	2,512.00	(+)655.83
उद्बिष्ठ पृथक निधियों का निवेश	1,543.63	1,798.63	(+)255.00
(क) निक्षेप निधि	1,546.94	1,746.94	(+)200.00
(ख) प्रतिभूति उनमोचन निधि	0.00	0.00	0.00
(ग) अन्य निधियां	(–)3.31	51.69	(+)55.00
प्राप्त ब्याज	53.08	134.83	(+)81.75

7.4 लेखों का पुनर्मिलान–

लेखे की शुद्धता एवं विश्वसनीयता अन्य बातों के अलावा समय पर विभागीय आंकड़ों तथा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा संकलित लेखा कार्यालय के आंकड़ों के मिलान पर निर्भर करता है। वर्ष के दौरान 94 बजट नियंत्रण अधिकारियों में से 18 नियंत्रण अधिकारियों द्वारा लेखाओं का पुनर्मिलान कार्य पूर्ण कर ₹ 59,120.89 करोड में से ₹ 21,147.63 करोड व्यय का पुनर्मिलान भी आंशिक रूप से किया। इसी प्रकार प्राप्ति पक्ष में 9 नियंत्रण अधिकारियों द्वारा लेखाओं का पुनर्मिलान कार्य पूर्ण किया गया और 7 नियंत्रण अधिकारियों द्वारा ₹ 59,340.92 करोड में से ₹ 21,249.81 करोड प्राप्तियों का पुनर्मिलान भी आंशिक रूप से किया।

7.5 कोषालयों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतिकरण–

वर्ष 2016–17 के दौरान महालेखाकार (लेखे एवं हकदारी) कार्यालय को कोषालयों, निर्माण विभागों, ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं एवं वन मण्डलों द्वारा मासिक लेखे प्रस्तुत किए। कोषलयों/ऐजेन्सियों के द्वारा मासिक लेखे का प्रेषण संतोषप्रद रहा।

7.6 अपूर्ण निर्माण कार्यों पर प्रतिबद्धता–

₹ 10 करोड़ तथा अधिक लागत के अपूर्ण निर्माण कार्यों/परियोजनाओं का विवरण नीचे दिया गया है–

सारणी–31 (₹ करोड़ में)

अवधि	सिंचाई		भवन		सड़क		पुल	
	कार्यों की संख्या	राशि (₹)	कार्यों की संख्या	राशि (₹)	कार्यों की संख्या	राशि (₹)	कार्यों की संख्या	राशि (₹)
1995 सेपूर्व	10	395.61	निरंक	0.00	निरंक	0.00	निरंक	0.00
1995–2000	निरंक	0.00	निरंक	0.00	निरंक	0.00	निरंक	0.00
2000–2005	03	708.37	01	16.95	01	25.62	निरंक	0.00
2005–2010	73	2,184.32	07	330.70	30	815.26	11	175.37
2010–2015	122	8,377.07	23	482.58	141	4,850.65	28	523.51
2015–2017	निरंक	0.00	04	64.49	13	286.32	10	199.94
योग	**208**	**11,665.37**	**35**	**894.72**	**185**	**5,977.85**	**49**	**898.82**

7.7 उचंत अवशेषों की स्थिति–

इस शीर्ष के अन्तर्गत लंबित अवशेषों को विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत अलग से लंबित बकाया जमा/नामे से एकत्रित किया गया है। वर्ष 2016–17 के मुख्य उचंत शीर्षों के अन्तर्गत निवल आंकड़ों की स्थिति को नीचे दर्शाया गया है:–

सारणी–32 (₹ करोड़ में)

उचंत शीर्ष	नामे	जमा	निवल नामे/जमा
8658–101 वेतन एवं लेखे उचंत	48.21	0.44	नामे 47.77
8658–102 उचंत लेखे (सिविल)	2.20	0.16	नामे 2.04
8658–109 भारतीय रिजर्व बैंक उचंत (मुख्यालय)	(–)0.37	(–)3.08	नामे 2.71
8658–129 सामग्री खरीद निपटान उचंत लेखे	0.00	87.29	जमा 87.29

7.8 राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत सहायता अनुदानों के विरूद्ध लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र–

छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग–1 के नियम 182 के अनुसार, वार्षिक या अनावर्ती सशर्त अनुदान का उपयोगिता प्रमाण पत्र विभागीय अधिकारियों जिनके हस्ताक्षर अथवा प्रतिहस्ताक्षर से अनुदान देयक आहरित हुआ है, जिस वर्ष से अनुदान संबंधित है उसके पश्चवर्ती वर्ष मे 30 सितम्बर अथवा पहले महालेखाकार कार्यालय (लेखा एवं हकदारी) को प्रषित किया जाना चाहिए। दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 5,016.78 करोड से संबंधित कुल 1407 उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित है, जिसके विवरण नीचे दिए गए हैं:–

सारणी–33 (₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रतीक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की संख्या	राशि
2013–14 तक	612	2,585.00
2014–15	181	829.95
2015–16	432	869.65
2016–17	182	732.18
कुल	**1,407**	**5,016.78**

7.9 विभिन्न कार्यान्वित अभिकरणों को राशि का स्थानान्तरण–

राज्य शासन द्वारा केन्द्रीय आयोजना, केन्द्र प्रवर्तित योजना तथा राज्य आयोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार राज्य/जिला स्तर के स्वायत्त निकायों/अभिकरणों और प्राधिकरणों, संस्थाओं गैर सरकारी संगठनों आदि को अनुदान के रूप में निधि उपलब्ध कराती है। वर्ष 2016–17 के दौरान राज्य सरकार के विभिन्न क्रियान्वयन अभिकरणों को सरकार द्वारा चलाए गए शासकीय योजनाओं/कार्यों/कार्यक्रमों के लिए अनुदान के रूप में ₹ 8,984.60 करोड की राशि संवितरित की गयी थी। कुल राशि में से उपयोग के बाद शेष राशि जो कि क्रियान्वयन अभिकरणों के बैंक खातों में जमा रहती है, जिसक विवरण उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार, सरकारी व्यय का विवरण जोकि खातों मे उपलब्ध है, अंतिम विवरण नहीं है। राज्य सरकार के अनुदानों के संबंध में कुछ़ कार्यान्वयन अभिकरणों के द्वारा प्राप्त व्यय एवं खातों में शेष राशि का विवरण नीचे उल्लिखित है:–

सारणी–34 (₹ करोड़ में)

संस्थानों के नाम	योजना	वर्ष के दौरान राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान	वर्ष के दौरान किया गया व्यय	बैंक खातों मे शेष राशि
छ़त्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	741.87	478.96	262.91
छ़त्तीसगढ़ प्रमाणीकरण समिति, भारत वानिकी एवं कृषि	छ़त्तीसगढ़ प्रमाणीकरण संस्था योजना	0.20	0.19	0.01

स्त्रोतः– संस्थानों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार।

7.10 वर्ष 2016–17 तक विगत पांच वर्षों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.ड़ी.पी.)–

सकल राज्य घरेलू उत्पाद एक निश्चित अवधि में राज्य के अन्दर आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त समस्त उत्पादित अंतिम उत्पाद और सेवाओं का बाजार मूल्य है। राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण सूचक है जो राज्यों की आबादी के रहन–सहन के स्तर को दर्शाता है। वर्तमान मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद तथा राज्य सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि की प्रवत्ति को नीचे दर्शाया गया है:–

7.10.1 जी.एस.ड़ी.पी. और जी.ड़ी.पी. की वार्षिक वृद्धि दर (वर्तमान मूल्यों पर)–

सारणी–35 (₹ करोड़ में)

विवरण	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17
भारत की सकल घरेलू उत्पाद	99,44,013	1,12,33,522	1,24,45,128	1,36,82,035	1,51,83,709
सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	13.82	12.97	10.79	9.94	10.98
राज्य सकल घरेलू उत्पाद	1,77,511	2,06,690	2,34,982	2,60,776	2,90,140
राज्य सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	12.30	16.44	13.69	10.98	11.26

(स्त्रोतः आंकड़े एवं आयोजना भारत सरकार के सांख्यिकी तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के वेबसाइट से प्राप्त)

© भारत के नियंत्रक
महालेखापरीक्षक
2017
www.cag.gov.in

agchattisgarh@cag.gov.in